जारी
10/3/2019

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग—7
संख्या:२५५/XX—7—2018—01(7o)2016
देहरादून: दिनांक 10 मार्च, 2019

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 13 के अधीन शक्ति और इस निमित्त निर्गत सभी विद्यमान नियमों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस (पी0ए0सी0, ए0पी0 एवं आई0आर0बी0) के आरक्षियों, मुख्य आरक्षियों, गुल्मनायकों, उप निरीक्षकों—सशस्त्र पुलिस, दलनायकों एवं प्रतिसार निरीक्षकों के चयन, प्रोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति ज्येष्ठता का अवधारण और स्थायीकरण आदि को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:—

उत्तराखण्ड प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस (पी0ए0सी0, ए0पी0 एवं आई0आर0बी0) आरक्षी, मुख्य आरक्षी, गुल्मनायक, उप निरीक्षक—सशस्त्र पुलिस, दलनायक एवं प्रतिसार निरीक्षक अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2019

भाग—01 सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तराखण्ड प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस (पी0ए0सी0, ए0पी0 एवं आई0आर0बी0) आरक्षी, मुख्य आरक्षी, गुल्मनायक, उप निरीक्षक—सशस्त्र पुलिस, दलनायक एवं प्रतिसार निरीक्षक अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2019 कही जायेगी।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस (पी0ए0सी0, ए0पी0 एवं आई0आर0बी0) आरक्षी, मुख्य आरक्षी, गुल्मनायक, उप निरीक्षक—सशस्त्र पुलिस, दलनायक एवं प्रतिसार निरीक्षक अधीनस्थ सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट है।

परिभाषायें

3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हों, इस नियमावली में:—
(क) **''अधिनियम''** से समय—समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश) 2001 अभिप्रेत है।
(ख) **''नियुक्ति प्राधिकारी'' से** आरक्षी, मुख्य आरक्षी के सम्बन्ध में सम्बन्धित सेनानायक एवं गुल्मनायक, उप निरीक्षक—सशस्त्र पुलिस, दलनायक एवं प्रतिसार निरीक्षक के सम्बन्ध में पुलिस उप महानिरीक्षक/महानिरीक्षक अभिप्रेत है।
(ग) **''बोर्ड''** से इस सम्बन्ध में समय—समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों के अनुसार स्थापित उत्तराखण्ड पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड अभिप्रेत है।
(घ) **''भारत का नागरिक''** से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग—दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये।
(ड.) **''संविधान'' से** भारत का संविधान अभिप्रेत है।
(च) **''सरकार''** से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है।
(छ) **''राज्यपाल''** से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है।
(ज) **''विभागाध्यक्ष''** से पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड अभिप्रेत है।
(झ) **''सेवा का सदस्य'' से** इस नियमावली या इस नियमावली या आदेश के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त इस नियमावली या आदेशों के अधीन मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।
(ञ) **''पी0ए0सी मुख्यालय''** से यथास्थिति पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड के अधीन चल रहे प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस कार्यालय अभिप्रेत है।

(ट) **"सेवा"** से उत्तराखण्ड प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस (पी0ए0सी0, ए0पी0 एवं आई0आर0बी0) आरक्षी, मुख्य आरक्षी, गुल्मनायक, उप निरीक्षक–सशस्त्र पुलिस, दलनायक एवं प्रतिसार निरीक्षक अधीनस्थ सेवा अभिप्रेत है।

(ठ) **"चयन समिति"** से सेवा के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिये गठित 'चयन समिति' अभिप्रेत है।

(ड) **"भर्ती का वर्ष"** से किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली 12 मास की अवधि अभिप्रेत है।

(ढ) **"दलनायकों एवं प्रतिसार निरीक्षकों–सशस्त्र पुलिस" से** ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इस नियमावली के अधीन नियुक्त किया गया है जिसे किसी नीति के अन्तर्गत प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस में समान पद पर तैनात और या स्थानान्तरित किया जा सकता है। इन्हें प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस में दलनायक, शिविरपाल, जिला प्रशिक्षण संस्थान और अन्य इकाईयों में प्रतिसार निरीक्षक, निरीक्षक–सशस्त्र पुलिस और जिले में यातायात निरीक्षक के नामों से पदाभिहित किया जायेगा।

(ण) **"उप निरीक्षक–सशस्त्र पुलिस" से** ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इस नियमावली के अधीन नियुक्त किया गया है, जिसे किसी नीति के अन्तर्गत प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस में समान पद पर तैनात या स्थानान्तरित किया जा सकता है। इन्हें प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस में गुल्मनायक, सूबेदार सैन्य सहायक, जिला प्रशिक्षण संस्थान और अन्य इकाईयों में उप निरीक्षक–सशस्त्र पुलिस और जिले में यातायात उप निरीक्षक के नामों से पदाभिहित किया जायेगा।

(त) **"प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस के अधीनस्थ"** से प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस, आई0आर0बी0, जिला पुलिस की सशस्त्र पुलिस शाखा, प्रशिक्षण संस्थान, जी0आर0पी0 एवं यातायात पुलिस में तैनात, आरक्षी, मुख्य आरक्षी, उप निरीक्षक–सशस्त्र पुलिस, गुल्मनायक, सहायक शिविर पाल, उप निरीक्षक यातायात, सूबेदार सैन्य सहायक, प्रशिक्षण संस्थानो एवं जी0आर0पी0 में तैनात उप निरीक्षक–सशस्त्र पुलिस, निरीक्षक–सशस्त्र पुलिस, दलनायक, शिविरपाल, प्रतिसार निरीक्षक, यातायात निरीक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान व जी0आर0पी0 में नियुक्त निरीक्षक के पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से अभिप्रेत है।

(र) **"मौलिक नियुक्ति"** से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्त न हो और नियमों के अनुसार चयन पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हों तो सरकार द्वारा निर्गत किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो।

(ल) **"चयन आयोग"** से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है।

भाग–दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा में कर्मचारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाय।

(2) सेवा में कर्मचारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, **परिशिष्ट–1** में दी गई है। जब तक कि उपधारा (1) के अधीन उसे परिवर्तित करने का आदेश पारित न हो:

परन्तु यह कि:–

(एक) सरकार कुल स्वीकृत नियतन के अन्तर्गत विभिन्न इकाइयों के पद की संख्या को पुर्ननिर्धारित कर सकती है।

(दो) नियुक्त प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं, अथवा राज्यपाल उसे प्रास्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर हकदार नहीं होगा।

(तीन) राज्यपाल समय–समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते है, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग–तीन– भर्ती

भर्ती का स्रोत **5.** सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदो पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:–

(क) **"आरक्षी–पी0ए0सी0 (पुरूष/महिला) एवं आई0आर0बी0"** आरक्षी प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस के शत प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।

(ख) **"मुख्य आरक्षी–पी0ए0सी0 (पुरूष/महिला), ए0पी0 एवं आईआरबी"**

(1) 50 प्रतिशत पदों पर पात्र आरक्षियों के मध्य संवर्गवार विभागीय योग्यता परीक्षा के आधार पर पदोन्नति की जायेगी, जिसकी प्रक्रिया **परिशिष्ट–2** में दी गई है।

(2) शेष 50 प्रतिशत पद ऐसे आरक्षियों में से जिन्होंने चयन वर्ष की प्रथम तिथि को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जायेंगी, जिसकी प्रक्रिया **परिशिष्ट–3** में दी गई है।

(ग) **गुल्मनायक–**

(1) गुल्मनायक के पदों के 34 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।

(2) गुल्मनायक के 33 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त आरक्षी एवं मुख्य आरक्षियों प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस की विभिन्न दल के सशस्त्र पुलिस से विभागीय योग्यता परीक्षा के आधार पर निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वालों मे से पदोन्नति द्वारा भरी जायेगी:–

क– आरक्षी पी0ए0सी0 (पुरूष/महिला) एवं आई0आर0बी0 के पद पर भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

ख– मुख्य आरक्षी पी0ए0सी0 (पुरूष/महिला), आई0आर0बी0 एवं स0पु0 के पद पर भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस पद का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो।

ग– भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन 45 वर्ष से अधिक की आयु न हुई हो।

(3) **निम्नलिखित पात्रता/शर्तो को पूर्ण करने वाले मुख्य आरक्षी पी0ए0सी0 (पुरूष/महिला), आई0आर0बी0 एवं स0पु0 के 33 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को छोड़कर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जायेगें:–**

क–ऐसे मुख्य आरक्षी जिन्होंने मुख्य आरक्षी के पद पर 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

ख– सेवा अभिलेख विगत 5 वर्षो का संतोषजनक हो, अर्थात कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित ना हो, विगत 5 वर्षो में कभी सत्यनिष्ठा ना रोकी गयी हो:

परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गयी अपील लंबित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत ना हुयी हो अथवा किसी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तथा अभियोग न्यायालय में पंजीकृत/विवेचनाधीन/विचाराधीन हो तो ऐसे कर्मियों

को भी पदोन्नति प्राक्रिया में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा लेकिन पदोन्नति प्रकिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा किसी विभागीय कार्यवाही/अभियोग में दण्डित होता है तो संबधित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान निस्तारित ना

हो पाये तो लंबित अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में उनका पदोन्नति परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया जायेगा।

(घ) दलनायक–

दलनायक के पद ऐसे उप निरीक्षक एवं गुल्मनायक से भरे पर अनुपयुक्त को छोड़कर ज्येष्ठता के आधार पर नियमित पदोन्नति हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने इस पद पर 10 वर्ष की सेवा चयन वर्ष की प्रथम जुलाई की तिथि तक पूर्ण कर ली हो और विगत 05 वर्षों का सेवा अभिलेख संतोषजनक हो।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये सीधी भर्ती में प्रचलित सुसंगत आरक्षण नियमों तथा समय–समय पर परिवर्तित शासनादेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

नोटः– पी0ए0सी0 तथा आई0आर0बी0 संवर्ग में आपस में संवर्ग परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

भाग–चार– चयन हेतु पात्रता/प्रक्रियां/अर्हतायें

रिक्तियों की अवधारणा

7. सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ, निम्नलिखित रीति से अधिसूचित की जायेगीः–

→**(एक)** व्यापक परिचालन वाले कम से कम 02 दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन जारी करके:

→**(दो)** कार्यालय के सूचना–पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा:

→ **(तीन)** रोजगार कार्यालय को रिक्तियों की सूचना देकर।

अर्हताएं

8. आरक्षी एवं गुल्मनायक (पी0ए0सी0 तथा आई0आर0बी0) के पद पर चयन हेतु कर्मियों के लिये निम्नलिखित अर्हताएं निर्धारित की जाती हैं:–

(क) भारत का नागरिक, हो ।

(ख) अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में रजिस्ट्रीरण होना अनिवार्य होगा अथवा उत्तराखण्ड राज्य स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो। राजकीय सेवाओं में कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना आवश्यक होगा। भूतपूर्व सैनिकों का नाम उत्तराखण्ड के में सम्बंधित जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालय में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है तथा कार्ड भी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

आरक्षी पी0ए0सी0, आई0आर0बी0 चयन हेतु पात्रता/प्रक्रिया

शैक्षिक अर्हता

9. आरक्षी के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा मान्य ''इन्टरमीडिएट' उत्तीर्ण या उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए।

अधिमानी अर्हताः– अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसनेः–

1.प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

2.राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

आयुः पहली जुलाई को अभ्यर्थी ने पुरूष अभ्यर्थी की दशा में आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 22 वर्ष होगी। महिला अभ्यर्थी की दशा में अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 25 वर्ष होगी:

परन्तु यह कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी की दशा में अधिकतम आयु सीमा उतनी होगी जैसा विनिर्दिष्ट की जाए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, होमगार्डस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों एवं अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय को निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा सेना में की गयी सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में घटाने के उपरान्त तीन वर्ष की छूट निर्धारित आयु सीमा में देय होगी।

गुल्मनायक के पद पर चयन हेतु पात्रता/प्रक्रिया

10. **गुल्मनायक के पद पर सीधी भर्ती** के लिये अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा न्यूनतम स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिये। भूतपूर्व सैनिको के लिये शैक्षिक योग्यता इन्टरमीडिएट या इसके समकक्ष अर्हता होगी।

शैक्षिक अर्हता

अधिमानी अर्हता:– अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने:–

1– प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

2– राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

आयु: पहली जुलाई को अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो परन्तु 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो:

परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी की दशा में अधिकतम आयु सीमा उतनी होगी जैसा विनिर्दिष्ट की जाए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, होमगार्डस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों एवं अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जायको निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा सेना में की गयी सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में घटाने के उपरान्त तीन वर्ष की छूट निर्धारित आयु सीमा में देय होगी।

गुल्मनायक एवं आरक्षी (पु0/म0) की सीधी भर्ती की प्रकिया

11. प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस के गुल्मनायक एवं आरक्षी के पदों पर सीधी भर्ती निम्नलिखित रीति से की जायेगी:–

(क) आवेदन पत्र–

(एक) अभ्यर्थी केवल एक जिले से आवेदन पत्र भरेगा। एक से अधिक जिले से आवेदन करने पर अभ्यर्थी के समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे। आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

(दो) भर्ती हेतु निर्गत विज्ञप्ति में अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र भी प्रिन्ट कराया जायेगा एवं पूर्ण रूप से भरे हुये तथा समस्त संलग्नको सहित आवेदन पत्र सम्बन्धित जिले के भर्ती केन्द्र में अन्तिम तिथि को सांय 17:00 बजे तक जमा करना होगा। आवेदन पत्र जिले के भर्ती केन्द्र के निर्धारित कार्यालय में कार्यालय दिवस में सीधे भी जमा किये जा सकते हैं। अपूर्ण आवेदन पत्रों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(तीन) अभ्यर्थी के दो स्वप्रमाणित फोटो समुचित स्थानों पर चिपकाये जायेगें।

(चार) आवेदन पत्र के साथ 11X4 इंच के दो लिफाफे जिन पर 5–5 रूपये का डाक टिकट चस्पा हो तथा आवेदक का अपना नाम व पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट अंकित हो एवं 02 नवीनतम एवं समरूप पासपोर्ट साईज की स्वप्रमाणित रंगीन फोटो जिन्हें प्रवेश पत्र इत्यादि निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में उपयोग में लाया

जायेगा, संलग्न करने आवश्यक होंगे।

(पाँच) भर्ती हेतु निर्गत विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन पत्र को ए–4 साईज के पेपर में टंकित कराकर एवं निर्धारित परीक्षा शुल्क ट्रैजरी चालान के माध्यम से राजकोष में जमा कराकर भर्ती केन्द्र के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

(छः) प्रत्येक आवेदन पत्र में यथास्थिति आयु, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट और स्नातक/स्नातकोत्तर, खेल, होमगार्ड प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न होनी चाहिये। समुचित रूप में भरे गये पूर्ण आवेदन पत्रों को सम्बन्धित वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक कार्यालय (भर्ती केन्द्र) में जमा कराना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र में संलग्न किए गए स्वप्रमाणित समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ शारीरिक मानक परीक्षण दौरान भर्ती केन्द्र में सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ख) प्रवेश पत्र–

(1) आवेदन पत्रों का परीक्षण, बुलावा पत्र जारी किये जाने के पूर्व किया जायेगा, यदि कोई प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में संलग्न (दर्शाया) किया गया हो, किन्तु उसमें संलग्न नहीं होने पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(2) अभ्यर्थियों के बुलावा पत्र सम्बन्धित जिले के भर्ती केन्द्र के लिए प्राधिकृत प्रभारी द्वारा जारी किये जायेंगे, जिस भर्ती केन्द्र में आवेदन पत्र जमा किये गये हों।

(3) शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा परीक्षण/लिखित परीक्षा का दिनांक और समय सहित कोड/नाम/डाकघर का पता/परीक्षा केन्द्र स्थल का उल्लेख सम्बन्धित बुलावा पत्रों में स्पष्ट रूप से किया जायेगा। भर्ती के सम्बन्ध में निर्धारित तिथियों के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से भी सम्बन्धित भर्ती केन्द्र प्रभारी द्वारा दी जायेगी।

(4) ऐसे दस्तावेज जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए ले जाने हेतु अपेक्षित हों को बुलावा पत्रों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा। बुलावा पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुँच जाने चाहिए। यदि बुलावा पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होता है, तो अभ्यर्थी परीक्षा से पूर्व सम्बन्धित भर्ती केन्द्र से सम्पर्क कर, प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) आरक्षी पी0ए0सी0/आई0आर0बी0 की शारीरिक मानक परीक्षा

समस्त पात्र अभ्यर्थी एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होंगे, जिसकी प्रक्रिया **परिशिष्ट–4** मे दी गयी है।

(घ) गुल्मनायक की शारीरिक मानक परीक्षा

समस्त पात्र अभ्यर्थी एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होंगे, जिसकी प्रक्रिया **परिशिष्ट–5** मे दी गयी है।

(ङ) आरक्षी पी0ए0सी0 (पु0/म0) एवं आई0आर0बी0 की शारीरिक दक्षता परीक्षा

शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी, जिसकी प्रक्रिया **परिशिष्ट–6** मे दी गयी है।

(च) गुल्मनायक की शारीरिक दक्षता परीक्षा

शारीरिक मानक परीक्षा में सफल/उत्तीर्ण समस्त पात्र अभ्यर्थी एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होंगे जिसकी प्रक्रिया **परिशिष्ट–7** में दी गयी है।

(छ) आरक्षी पी0ए0सी0/आई0आर0बी0 पद हेतु लिखित परीक्षा

शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया **परिशिष्ट–08** में दी गयी है।

(ज) सीधी भर्ती के गुल्मनायक पद हेतु लिखित परीक्षा

शारीरिक मानक परीक्षा एवं दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा करायी जायेगी, जिसकी प्रक्रिया **परिशिष्ट–9** में दी गई है।

(झ) चिकित्सा/स्वास्थ्य परीक्षण– लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण ऐसा होगा, जो **परिशिष्ट–10** में विहित है।

(ञ) अंतिम चयन/ मैरिट सूची– सम्बंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक (प्रभारी भर्ती केन्द्र) चयनित अभ्यर्थियों की जिलेवार अंतिम सूची तैयार करेगा।

शपथ पत्र

12. अन्तिम रूप से चयन के उपरान्त चिकित्सकीय परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र का प्रारूप चयन समिति द्वारा चिकित्सा/ स्वास्थ्य परीक्षा में अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन

13. नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पूर्व चरित्र सत्यापन पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों के चरित्र और उनके आपराधिक अभिलेख का सत्यापन कराया जायेगा, यदि चरित्र सत्यापन में किसी भी माध्यम से यह ज्ञात होता है कि अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र में ऐसे तथ्यों को छिपाया गया है, जो उसे चयन प्रक्रिया से बाधित करते हो, तो न केवल अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया जायेगा, अपितु उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।

वैवाहिक प्रास्थिति

14. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसके एक से अधिक जीवित पति हो:

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

15. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाय।

टिप्पणीः– चिकित्सा बोर्ड नॉक–नी, बो लेग्स, फ्लैट फीट, वेरीकोस वेन्स, कलर ब्लाइंडनेश, निकट एवं दूर दृष्टि दोषों जैसी कमियों का भी परीक्षण करेगा।

बन्ध पत्र

16. अन्तिम रूप से चयनित/चिकित्सकीय परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों से इस आशय का बन्धपत्र लिया जायेगा कि वे प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 05 वर्ष तक सेवा में रहेगे यदि उनके द्वारा 05 वर्ष से पूर्व त्याग पत्र दिया जाता है अथवा उन्हें सेवा से हटाया जाता है तो नियमानुसार उनके प्रशिक्षण में व्यय धनराशि एवं प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें भुगतान किये गये वेतन की राशि का भुगतान उन्हें पुलिस विभाग को करना होगा।

नियुक्ति पत्र

17. अन्तिम रूप से चयनित/चिकित्सीय परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों को निर्धारित

प्रारूप में नियुक्ति पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।नियुक्ति आदेश का प्रारूप सम्बन्धित अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रशिक्षण

18. चयनित अभ्यर्थियों से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी जैसा कि राज्य सरकार या विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाये।

परीक्षा शुल्क

19. तत्समय उत्तराखण्ड शासन द्वारा समूह ग की अन्य परीक्षाओं हेतु निर्धारित किये जाने वाले परीक्षा शुल्क के अनुसार परीक्षा शुल्क लिया जायेगा।

परिवीक्षा

20. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।
(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जाएंगे अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय।
परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।
(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।
(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

भाग–पांच–पदोन्नति प्रक्रिया

मुख्य आरक्षी के चयन हेतु चयन समिति

21. **(क) मुख्य आरक्षी पी0ए0सी0 (पु0/म0), आई0आर0बी0 एवं स0पु0:–**
चयन समिति:–पदोन्नति की प्रक्रिया पुलिस मुख्यालय स्तर से गठित की जाने वाली चयन समिति द्वारा किया जायेगा, चयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य निम्न पदाधिकारी होंगे:–

1–पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर का एक अधिकारी–अध्यक्ष
2–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्तर के 01 अधिकारी सदस्य
3–अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक स्तर के 02 अधिकारी सदस्य

चयन समिति में एससी/एसटी अथवा ओबीसी श्रेणी के एक अधिकारी को सम्मिलित किया जायेगा।
समिति के सहायतार्थ समिति के अनुरोध पर अन्य अपेक्षित अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त किये जा सकेंगे।

पदोन्नति प्रक्रिया

22. **(क)** विभागीय योग्यता परीक्षा के माध्यम से मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति/नियुक्ति नियम–5(ख)(1) में दी गई व्यवस्थानुसार की जायेगी।
(ख) ज्येष्ठता के आधार पर मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति अनुपयुक्त को छोड़ते हुये नियम–5(ख)(2) में दी गई व्यवस्थानुसार की जायेगी।

पदनामित किये जाने के सम्बन्ध में अन्य उपबन्ध

23. ऐसे समस्त प्रशिक्षित मुख्य आरक्षी जिन्होंने मौलिक पद (आरक्षी के पद की सेवा को मिलाकर) के संदर्भ में 16 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है और जिन्हें उप निरीक्षक का वेतनमान स्वीकृत हो चुका है, को मुख्य आरक्षी (प्रोन्नत वेतनमान) का पदनाम दिया जायेगा।

मुख्य आरक्षी (प्रोन्नत वेतनमान), सहायक उप निरीक्षक की भांति वर्दी धारण करेंगे एवं कार्यो का निर्धारण विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

गुल्मनायक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया

24. गुल्मनायक के 33 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त आरक्षी (पी0ए0सी0 एवं आई0आर0बी0) एवं मुख्य आरक्षियों को प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस की विभिन्न दल के सशस्त्र पुलिस से विभागीय योग्यता परीक्षा के आधार पर निम्नलिखित पात्रता शर्तो को पूर्ण करने वालों में से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे:–

(क) आरक्षी पी0ए0सी0 (पुरूष/महिला) एवं आई0आर0बी0 के पद पर भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(ख) मुख्य आरक्षी पी0ए0सी0 (पुरूष/महिला), आई0आर0बी0 एवं स0पु0 के पद पर भर्ती के वर्ष पद का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो।

(ग) भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन 45 वर्ष से अधिक की आयु न हुई हो।

(घ) कैडर विभाजन – अभ्यर्थी को भारत सरकार द्वारा अन्तिम रूप से उत्तराखण्ड राज्य आबँटित किया गया तथा वह वर्तमान समय में उत्तराखण्ड राज्य में नियुक्त हो ।

(ङ.) सेवा अभिलेख विगत 5 वर्षो का संतोषजनक हो, अर्थात कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित ना हो, विगत 5 वर्षो में कभी सत्यनिष्ठा ना रोकी गयी हो:

परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गयी अपील लंबित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत ना हुयी हो अथवा किसी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तथा अभियोग पंजीकृत/विवेचनाधीन/विचाराधीन न्यायालय हो तो एसे कर्मियों को भी पदोन्नति प्राक्रिया में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा किसी विभागीय कार्यवाही /अभियोग में दण्डित होता है तो संबधित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान निस्तारित ना हो पाये तो लंबित अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में उनका पदोन्नति परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया जायेगा ।

गुल्मनायक के पद पर विभागीय योग्यता परीक्षा के आधार पर पदोन्नति **परिशिष्ट–11** में निर्धारित प्रकियानुसार की जायेगी।

ज्येष्ठता के आधार पर गुल्मनायक के पद पर पदोन्नति

25. गुल्मनायक के 33 प्रतिशत पद पी0ए0सी0(पुरूष/महिला), आई0आर0बी0 एवं स0पु0 के मुख्य आरक्षी के पद पर अनुपयुक्त को छोड़कर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

(क) विगत 05 वर्षों का सेवाअभिलेख सन्तोषजनक हो अर्थात कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो। विगत् 05 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गयी हो:

परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गयी अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो अथवा किसी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तथा अभियोग पंजीकृत/विवेचनाधीन/विचाराधीन न्यायालय हो तो ऐसे कर्मियों को भी पदोन्नति प्रक्रिया में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/ अस्वीकृत हो जाती है अथवा किसी विभागीय कार्यवाही/अभियोग में दण्डित होता है तो सम्बन्धित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा। यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग की निर्णय की प्रत्याशा में उनका पदोन्नति परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया जायेगा।

पी0ए0सी0 के गुल्मनायकों/उप निरीक्षक–स0पु0 से उप निरीक्षक यातायात प्रशिक्षण हेतु चयनित किया जाना

26. (1)गुल्मनायक एवं उपनिरीक्षक–स0पु0 के पद पर जिनका 05 वर्ष का सेवाकाल संतोषजनक पूर्ण हो चुका हो तथा आयु 40 वर्ष से अधिक न हो और वे उप निरीक्षक यातायात प्रशिक्षण करने के इच्छुक हों, उनमें से उप निरीक्षक यातायात के प्रशिक्षण हेतु रिक्ति के सापेक्ष ज्येष्ठता के आधार पर रिक्ति के दोगुना कर्मियों को चयनित किया जायेगा। तदोपरान्त उन्हें उप निरीक्षक यातायात के प्रशिक्षण के लिये भेजा जायेगा।

(2)अभ्यर्थियों को पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड द्वारा नामित समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु प्रस्तुत होना होगा।

उप निरीक्षक यातायात का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक प्राप्त करने के उपरान्त जनपदो में उप निरीक्षक यातायात नियुक्त करने हेतु अर्हता एवं नियुक्ति अवधि का निर्धारण

27. (1) गुल्मनायक एवं उपनिरीक्षक–स0पु0 द्वारा उप निरीक्षक यातायात प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया हो।

(2) उप निरीक्षक यातायात के पद पर एक जनपद में 03 वर्ष के लिये नियुक्त किया जायेगा। 03 वर्ष के बाद उप निरीक्षक यातायात को पी0ए0सी0 एवं आई0आर0बी0 को वापस भेजा जायेगा।

(3) प्रतिकूल मन्तव्य/परिनिन्दा लेख से दण्डित कर्मी को क्रमशः 05/03 वर्ष तक उप निरीक्षक यातायात के पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(4) जनपदों में उप निरीक्षक यातायात की नियुक्ति ज्येष्ठता/उपयुक्तता के आधार पर की जायेगी। यदि वरिष्ठ उप निरीक्षक यातायात जनपद में 03 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर चुका हो तो तब ज्येष्ठता में अगले उन उप निरीक्षक यातायात में से नियुक्त की जायेगी जो कभी उप निरीक्षक यातायात के पद पर नियुक्त नहीं हुये हों या जिनके द्वारा उप निरीक्षक यातायात के पद पर 03 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण नहीं किया गया हो।

(5) उप निरीक्षक यातायात के कार्यकाल में यदि कोई प्रतिकूल आचरण करता है अथवा प्रतिकूल मन्तव्य एवं परिनिन्दा लेख से दण्डित होता है तो उसे पी0ए0सी0/आई0आर0बी0 को तत्काल वापस कर दिया जायेगा।

गुल्मनायक से उपनिरीक्षक–स0पु0 के पद पर जनपद में नियुक्ति हेतु अर्हतायें

28. (1) गुल्मनायक के पद पर निरन्तर 05 वर्ष का सेवाकाल सन्तोषजनक पूर्ण हो चुका हो।

(2) उपनिरीक्षक–स0पु0 के पद पर एक जनपद में 05 वर्ष के लिये ज्येष्ठता/ उपयुक्तता के आधार पर नियुक्त किया जायेगा।

(3) प्रतिकूल मन्तव्य/परिनिन्दा लेख से दण्डित गुल्मनायक को उपनिरीक्षक–स0पु0 के पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(4) जनपदों में उपनिरीक्षक–स0पु0 की नियुक्ति ज्येष्ठता/उपयुक्तता के आधार पर की जायेगी। यदि वरिष्ठ उप निरीक्षक–स0पु0 जनपद में 05 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर चुका हो तो तब ज्येष्ठता में अगले उन गुल्मनायकों में से नियुक्ति की जायेगी जो कभी उप निरीक्षक–स0पु0 के पद पर नियुक्त नहीं हुये हों या जिनके द्वारा उप निरीक्षक–स0पु0 के पद पर नियुक्त 05 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण नहीं किया गया हो।

(5) उप निरीक्षक–स0पु0 के कार्यकाल में यदि कोई प्रतिकूल आचरण करता है अथवा प्रतिकूल मन्तव्य एवं परिनिन्दा लेख से दण्डित होता है तो उसे पी0ए0सी0/आई0आर0बी0 को तत्काल वापस कर दिया जायेगा।

निरीक्षक सशस्त्र पुलिस एवं दलनायक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

29. (1) मौलिक रूप से नियुक्त उप निरीक्षक–स0पु0 एवं गुल्मनायक के पद पर चयन वर्ष के प्रथम जुलाई को 10 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने वालों में से अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जायेगी। दलनायक के पद पर ऐसे उप निरीक्षक–स0पु0, यातायात एवं गुल्मनायक पात्र होंगे जिन्होंने इस पद पर 10 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा चयन वर्ष की प्रथम जुलाई की

तिथि तक पूर्ण कर ली हो और विगत 05 वर्षों का सेवाभिलेख सन्तोषजनक हो, दलनायक के पद पर पदोन्नति हेतु उप निरीक्षक–स0पु0, यातायात एवं गुल्मनायक की 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा उप निरीक्षक–स0पु0, यातायात एवं गुल्मनायक के पद पर सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने की दशा में चयन के दिनांक से मानी जायेगी।

(2) दलनायक के पद पर पदोन्नति के लिये विभागीय चयन समिति निम्न प्रकार गठित होगी:–

क–पुलिस महानिदेशक – अध्यक्ष

ख–पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक/पुलिस उप महानिरीक्षक कार्मिक – सदस्य
(पुलिस उप महानिरीक्षक, कार्मिक उसी परिस्थिति में सदस्य होगे जब पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक के पद पर कोई अधिकारी कार्यरत न हो)

ग– पुलिस महानिरीक्षक पी0ए0सी0/पुलिस उप महानिरीक्षक, पी0ए0सी0– सदस्य सचिव
(पुलिस उप महानिरीक्षक, पी0ए0सी0 उसी परिस्थिति में सदस्य होगे जब पुलिस महानिरीक्षक, पी0ए0सी0के पद पर कोई अधिकारी कार्यरत न हो)

घ–अनु0जाति का 01 अधिकारी जो पुलिस उप महानिरीक्षक से निम्न स्तर का न हो, इन्हें पुलिस महानिदेशक द्वारा नामित किया जायेगा –सदस्य
यदि उपरोक्तानुसार कोई पुलिस अधिकारी उपलब्ध न हो तो उस परिस्थितियों में शासन द्वारा सदस्य नामित किया जायेगा

च–प्रमुख सचिव, गृह द्वारा नामित 01 अधिकारी –सदस्य

(3) समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक/महानिरीक्षक अपने अधीनस्थ कार्यरत अर्हतायें पूर्ण करने वाले गुल्मनायक/उप निरीक्षकों का विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर ऐसे उप निरीक्षकों की सूची, जो दलनायक/निरीक्षक के रूप में प्रोन्नत किये जाने के लिए उचित समझे जायें, पुलिस मुख्यालय को प्रस्तुत करेगें।

(4) ऐसे गुल्मनायकों एवं उप निरीक्षकों की सूची, जिन्हें निरीक्षक–सशस्त्र पुलिस एवं दलनायक के पद पर पदोन्नति पर विचार करने हेतु उचित न समझा जाये, के तत्सम्बन्धी कारणों का उल्लेख करते हुए दूसरी सूची भी पुलिस मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी।

(5) प्रदेश के समस्त परिक्षेत्रों एवं इकाईयों से प्राप्त सूचियों के आधार पर पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रथमतः ऐसे उप निरीक्षक एवं गुल्मनायक, जिन्हें पदोन्नति पर विचार करने हेतु उपयुक्त पाया जाय, की वर्षवार ज्येष्ठताक्रम में अन्तिम सूची तैयार की जायेगी।

(6) उपलब्ध पदों के सापेक्ष अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता मुख्यालय द्वारा निर्गत वरिष्ठता सूची के अनुरूप होगी।

(7) पदोन्नति हेतु चयनित दलनायक (निरीक्षकगण) प्रोन्नति आदेश के दिनांक से दलनायक (निरीक्षक) पद पर मौलिक रूप से नियुक्त माने जायेंगे।

प्रशिक्षण

30. (1) **आरक्षी:**–चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची पी0ए0सी0 मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को 09 माह का आधारभूत गहन प्रशिक्षण कराया जायेगा तथा 06 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण कराया जायेगा तथा ऐसे चयनित अभ्यर्थी जो प्रशिक्षण में असफल घोषित हों, उनके पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। पुनः असफल घोषित होने पर उनका चयन निरस्त कर दिया जायेगा।

(2) **मुख्य आरक्षी:**–चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची पी0ए0सी0 मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को 04 माह का आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा तथा 04 माह प्रशिक्षण सफलता पूर्वक उत्तीर्ण करने वाले कर्मियों का 03 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण कराया जायेगा तथा ऐसे

चयनित अभ्यर्थी जो प्रशिक्षण में असफल घोषित हों, उनके पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। पुनः असफल घोषित होने पर उनके पूर्व पद पर वापस कर दिया जायेगा।

(3) गुल्मनायकः–

सीधी भर्ती द्वारा गुल्मनायक पद हेतु चयनित अभ्यर्थी को गुल्मनायक के पद का 01 वर्ष का आधारभूत प्रशिक्षण तथा आधारभूत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों 01 वर्ष का व्यवहारिक प्रशिक्षण कराया जायेगा तथा पदोन्नति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को 06 माह का आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा तथा 06 माह प्रशिक्षण सफलता पूर्वक उत्तीर्ण करने वाले कर्मियों का 03 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण कराया जायेगा तथा ऐसे सीधी भर्ती/पदोन्नति द्वारा चयनित अभ्यर्थी जो प्रशिक्षण में असफल घोषित हों, उनके पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। पुनःअसफल घोषित होने पर उनके पूर्व पद पर वापस कर दिया जायेगा तथा सीधी भर्ती के गुल्मनायक का चयन निरस्त कर दिया जायेगा।

पदोन्नति लेने से इन्कार

31. यदि कोई सेवक दी गयी पदोन्नति को लेने से इन्कार कर देता है तो उसके कनिष्ठ को चयन समिति प्रोन्नति दे सकती है और इस परिस्थिति में ज्येष्ठ कर्मचारी अपने प्रोन्नति में उस दिन से ज्येष्ठता नहीं मांग सकेगा, जिस दिन उसके लिये रिक्त पद पर पदोन्नति दी गयी थी।

परिवीक्षा

32. परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जैसा कि राज्य सरकार या विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाय।

(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जाएंगे अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

भाग–छः–स्थायीकरण

स्थायीकरण

33. नियम 33 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि–

(क) उसने सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो।

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय।

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

(2) जहाँ उत्तराखण्ड प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम/उपनियम के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश की सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

34. 1— आरक्षी पी0ए0सी0 (पु0/म0)/आई0आर0बी0:—
सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय—समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार इस प्रतिबन्ध के साथ अवधारित की जायेगी कि
किसी पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति से ज्येष्ठ होगा।

एक चयन के अन्तर्गत चयनित आरक्षियों की परस्पर ज्येष्ठता उनके द्वारा आधारभूत प्रशिक्षण में प्रशिक्षण को सफलता पूर्वक पूर्ण करने की दशा में, चयन परीक्षा में प्राप्त अंको के अनुसार तैयार की गई श्रेष्ठता (मैरिट) सूची के आधार पर अवधारित की जायेगी।

चयन परीक्षा में समान अंक एवं भर्ती तिथि समान होने पर जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठता अवधारित की जायेगी। उपरोक्त सभी तिथियां समान होने की दशा में हाई स्कूल प्रमाण पत्र में उल्लिखित नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार होगी।

2—मुख्य आरक्षी:—
(क) मुख्य आरक्षी के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति से की जायेगी। कार्मिकों की ज्येष्ठता का निर्धारण आरक्षी के पद पर अन्तिम ज्येष्ठता सूची के आधार पर अवधारित की जायेगी।
(ख) विभागीय चयन परीक्षा से चयनित मुख्य आरक्षी की ज्येष्ठताए श्रेष्ठता (मैरिट) सूची के आधार पर तैयार की जायेगी।
(ग) एक ही चयन वर्ष में विभागीय चयन परीक्षा से नियुक्त मुख्य आरक्षी एवं ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नत मुख्य आरक्षी की ज्येष्ठता जहां तक हो सके दोनों स्रोतों के लिये निहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम (प्रथम नाम ज्येष्ठता से पदोन्नत व्यक्ति का होगा) में निर्धारित किया जायेगा।
(घ) मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति हेतु चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षण को सफलता पूर्वक पूर्ण करने की दशा में, सेवा की गणना उक्त पद पर चयन की तिथि से की जायेगी।

3—गुल्मनायक:—
(क) सेवा में, किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय—समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता (निर्धारित) नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।
(ख) सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित गुल्मनायक एवं विभागीय पदोन्नति परीक्षा से चयनित गुल्मनायक की अपने—अपने संवर्ग में ज्येष्ठता सूची सफल अभ्यर्थियों द्वारा चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों का 50% तथा प्रशिक्षण संस्थानों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों का 50% को जोडकर संवर्गवार अन्तिम ज्येष्ठता सूची तैयार की जायेगी।
(ग) एक प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त गुल्मनायक पूर्ववर्ती प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त गुल्मनायक से कनिष्ठ तथा पश्चातवर्ती प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त गुल्मनायक से ज्येष्ठ होंगे । परन्तु यह कि यदि सीधी भर्ती तथा पदोन्नति से नियुक्त गुल्मनायक एक ही प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो उस दशा में उनकी ज्येष्ठता जहां तक हो सके दोनों स्त्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम में (प्रथम नाम पदोन्नत व्यक्ति का होगा) निर्धारित की जायेगी ।
(घ) गुल्मनायक के पद पर भर्ती/पदोन्नति हेतु चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षण को

सफलता पूर्वक पूर्ण करने की दशा में, सेवा की गणना उक्त पद पर चयन की तिथि से की जायेगी।

4--दलनायक:--

(क) सेवा में, किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय--समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(ख) सेवा में किसी श्रेणी के पद पर ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें, तो उस क्रम से जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायेगी;

परन्तु यह कि किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में हो रही हो जिससे उनकी पदोन्नति की गई थी।

(ग) विभाग द्वारा पूर्व में निर्धारित नीति (पुलिस अधिष्ठान समिति) के अनुसार निर्धारित ज्येष्ठता तब तक परिवर्तनीय नहीं होगी जब तक कि नियम 30 की व्यवस्थानुसार एक समान पद प्राप्त नहीं किये जा सकते।

(घ) उपरोक्त के होते हुए भी अगर ज्येष्ठता के संबंध में कोई अन्य तथ्य प्रकाश में आता है अथवा कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निवारण नियम 3(4)(क) के अनुसार साम्यपूर्ण रीति से किया जायेगा।

भाग--सात: वेतन भत्ते आदि

वेतनमान/भत्ते

35. सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय--समय पर अवधारित किया जायेगा। इस नियमावली के प्रख्यापन के समय 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान निम्नवत् है:--

क्र.सं.	पद नाम	वेतनमान	वेतन मैट्रिक्स लेवल
1	दलनायक (कम्पनी कमाण्डर)	47,600--151100	8
2	गुल्मनायक (प्लाटून कमाण्डर)	44900--142400	7
3	सहायक उप निरीक्षक	29200--92300	5
4	मुख्य आरक्षी पी0ए0सी0 एवं आई0आर0बी0	25500--81100	4
5	आरक्षी पी0ए0सी0 एवं आई0आर0बी0	21700--69100	3

उक्त के अतिरिक्त सेवा के सदस्य राज्य सरकार द्वारा समय--समय पर स्वीकृत भत्ते पाने के हकदार होंगे।

परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतन

36. (1) परिवीक्षा के दौरान वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है, संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा;

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढाई जाती है, तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ऐसी बढाई गई अवधि वेतन वृद्धि के लिये नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थाई सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से संबंधित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग--आठ--प्रकीर्ण--उपबन्ध

पक्ष समर्थन

37. सेवा के किसी पद पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्ही अन्य सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

38. ऐसे विषय के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और पुलिस अधिनियम के अधीन बनाये गये विभिन्न नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

39. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में से किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

सेवाकाल के दौरान वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण

40. प्रत्येक दलनायक, प्रतिसार निरीक्षक, यातायात निरीक्षक/गुल्म नायक, उप निरीक्षक स0पु0, उप निरीक्षक यातायात/घुडसवार एवं मुख्य आरक्षी/आरक्षी का स्वास्थ्य परीक्षण शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार कराया जाना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य परीक्षण मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सुसंगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

शस्त्र चालन, प्रशिक्षण एवं फायरिंग अभ्यास

41. प्रत्येक दलनायक, प्रतिसार निरीक्षक, यातायात निरीक्षक एवं गुल्मनायम, उप निरीक्षक–स0पु0, उप निरीक्षक यातायात/घुडसवार एवं मुख्य आरक्षी/आरक्षी विभागध्यक्ष द्वारा समय–समय पर निर्धारित शस्त्र चालन एवं फायरिंग अभ्यास करेगा।

व्यावृत्ति

42. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पडेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(नितेश कुमार झा)
सचिव

संख्याः २५५ (1)/XX–7–2018–01(70)2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को उपर्युक्त अधिसूचना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त, प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. कार्यालय महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
4. समस्त सेनानायक/आई.आर.बी. वाहिनी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, मुद्रण लेखन सामग्री, रूड़की हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना की 250 प्रतियां प्रकाशित कराते हुए शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार की विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट–1

(नियम–4 देखें)

क0सं0	पद का नाम	स्वीकृत नियतन
1	प्रतिसार निरीक्षक	15
2	यातायात निरीक्षक	21
3	निरीक्षक स0पु0 / मुख्य प्रशिक्षक (एच0डी0आई0)	09
4	दलनायक (कम्पनी कमाण्डर)	60
5	उप निरीक्षक स0पु0	72
6	उप निरीक्षक बम निष्क्रिय दस्ता (बी0डी0एस0)	04
7	उप निरीक्षक यातायात	16
8	गुल्मनायक (प्लाटून कमाण्डर)	198
9	सहायक उप निरीक्षक	36
10	मुख्य आरक्षी पी0ए0सी0 / आई0आर0बी0	960
11	आरक्षी पी0ए0सी0 / आई0आर0बी0	4173

नोटः– उपरोक्त कमांक–9 में उल्लिखित सहायक उप निरीक्षक के पद, जो गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों / संस्तुति के कम में इण्डियन रिजर्व वाहिनी (आई0आर0बी0) एवं अतिरिक्त इण्डियन रिजर्व वाहिनी के लिए वर्ष 2004 एवं वर्ष 2006 में कमशः 18+18 कुल 36 पद सृजित किए गए थे, विभागीय संरचना के अनुरूप नहीं होने के कारण उक्त पदों पर भर्ती / नियुक्ति एवं तैनाती नहीं की गई है। उक्त पद मृत संवर्ग की श्रेणी में हैं, जिसको उक्त नियमावली में नियुक्ति आदि प्रकिया के लिए सम्मिलित नहीं किया गया है।

परिशिष्ट–2

नियम–5 (ख) (1) देखें

विभागीय योग्यता परीक्षा के माध्यम से मुख्य आरक्षी पी0ए0सी0 (पु0/म0), आई0आर0बी0 एवं स0पु0 के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया

पात्रता: पी0ए0सी0 (पु0/म0), आईआरबी एवं स0पु0 संवर्ग के सभी आरक्षी परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे। पदोन्नति हेतु अन्तिम रूप से चयनित कार्मिकों को उनके द्वारा दिये गये विकल्प एवं संवर्ग (पी0ए0सी0, आई0आर0बी0 एवं स0पु0) में पद की उपलब्धता के आधार पर पदोन्नति की जायेगी।

(क) आयु: चयन वर्ष के प्रथम दिवस को 45 वर्ष से अधिक की आयु न हुई हो।

(ख) अनुभव: चयन वर्ष के प्रथम दिवस को पुलिस विभाग में भर्ती तिथि से कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों (सेवा अवधि में प्रशिक्षण अवधि को भी सम्मिलित किया जायेगा)

(ग) कैडर विभाजन – अभ्यर्थी को भारत सरकार द्वारा अन्तिम रूप से उत्तराखण्ड राज्य आबँटित किया गया तथा वह वर्तमान समय में उत्तराखण्ड राज्य में नियुक्त हो ।

(घ) सेवा अभिलेख विगत 5 वर्षो का संतोषजनक हो, अर्थात कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित ना हो, विगत 5 वर्षो में कभी सत्यनिष्ठा ना रोकी गयी हो:

परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गयी अपील लंबित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत ना हुयी हो अथवा किसी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तथा अभियोग न्यायालय पंजीकृत/विवेचनाधीन/विचाराधीन हो तो एसे कर्मियों को भी पदोन्नति प्राक्रिया में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा किसी विभागीय कार्यवाहीध् अभियोग में दण्डित होता है तो संबधित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही अभियोग पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान निस्तारित ना हो पाये तो लंबित अपील/विभागीय कार्यवाही/ अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में उनका पदोन्नति परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया जायेगा ।

लिखित परीक्षा उपरोक्त पात्रता/अर्हता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा सम्पन्न करायी जायेगी। लिखित परीक्षा के विषय एंव अंकों का विवरण निम्नवत् है:–

क्र0सं0	विषय	अधिकतम अंक
1	सामान्य ज्ञान तथा सामान्य हिन्दी	100 अंक
2	पुलिस प्रक्रिया	100 अंक
3	विधि	100 अंक
	कुल योग	300 अंक

लिखित परीक्षा हेतु तीन भाग का एक ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र तैयार किया जायेगा। प्रथम भाग में सामान्य ज्ञान व सामान्य हिन्दी, द्वितीय भाग में पुलिस प्रक्रिया तथा तृतीय भाग विधि का होगा। कुल प्रश्न पत्र 300 अको का होगा तथा प्रश्नों की कुल सख्या 150 होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिये 02 अंक निर्धारित होंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 (एक चौथाई) अंक काट लिया जायेगा। प्रश्न संख्या 1 से 50 तक सामान्य ज्ञान/सामान्य हिन्दी, प्रश्न संख्या 51 से 100 तक पुलिस प्रक्रिया एंव प्रश्न संख्या 101 से 150 तक विधि से सम्बन्धित होंगे। प्रश्न पत्र हल करने हेतु 02 घंटे का समय निर्धारित होगा। सामान्य ज्ञान/सामान्य हिन्दी का प्रश्न पत्र इण्टरमीडिएट स्तर का होगा तथा पुलिस प्रक्रिया व विधि विषयों के प्रश्नपत्रों का स्तर वह होगा जो सामान्य रूप से किसी पुलिस कर्मी द्वारा पुलिस विभाग की सेवा में हेड कान्स0 के पद पर नियुक्ति हेतु

अपेक्षित हो। चयन प्रक्रिया में आगे बने रहने हेतु लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा, जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम् 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने में विफल होंगे उन्हें पदोन्नति के लिये अयोग्य घोषित करते हुये उसी स्तर से चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा। लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता परीक्षा करायी जायेगी।

शारीरिक दक्षता परीक्षा– लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मुख्यालय स्तर पर गठित उपरोक्त चयन समिति द्वारा आई0टी0/पी0टी0 परीक्षा ली जायेगी, जिसके अंतर्गत आई0टी0 60तथा पी0टी0 40 अंक की होगी। प्रत्येक में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जो परीक्षार्थी 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल होंगे, उन्हें पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित करते हुए उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा।

(क) आई0टी0 परीक्षा 60 अंक

टर्न आउट	
व्यक्तिगत प्रदर्शन	05 अंक
कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल	15 अंक
वेपन्स	25 अंक
(ख) पी0 टी0 परीक्षा 40 अंक	15 अंक
व्यक्तिगत प्रदर्शन	
इन्सट्रेक्टर एबिलिटी	15अंक
05 किमी0 की दौड़	15 अंक
24 मिनट पर–	10 अंक
27 मिनट पर–	10 अंक
30 मिनट पर–	08 अंक
33 मिनट पर–	6.5 अंक
36 मिनट पर–	05 अंक
39 मिनट पर–	3.5 अंक
42 मिनट पर–	02 अंक
	0.5 अंक

(ग) सेवा अभिलेखों का मूल्याकंन– सेवा अभिलेखों पर आधारित अधिकतम अंक 50 होंगे, जिनका निर्धारण मानक निम्नवत होगा:–

(1) कोर्स (10 अंक अधिकतम)

कोर्स का निर्धारण पुलिस महानिदेशक स्तर से विज्ञापन निर्गत करने से पूर्व वर्तमान परिवेश में पुलिस के समक्ष चुनौतियों के अनुरूप पारदर्शी तरीके से किया जायेगा। आरक्षी के पद पर चयन/नियुक्त होने के उपरांत संबंधित कर्मचारी द्वारा किये गये कोर्स के अंक प्रशिक्षण अवधि के अनुसार निम्नानुसार प्रदान किये जायेंगें:–

(क) 03 दिन से 07 दिन का कोर्स	02 अंक
(ख) 08 दिन से 14 दिन का कोर्स	04 अंक
(ग) 15 दिन से 30 दिन का कोर्स	06 अंक
(घ) एक माह से अधिक का कोर्स	08 अंक

(2) पुरूष्कार/पदक (25 अंक अधिकतम) **(क+ख= 25 अंक)**

(क)–प्रत्येक नकद रिवार्ड के लिए 01 अंक(अधिकतम 10 अंक)

(ख)– मेडल (अधिकतम 15 अंक)

(ग)–महामहिम राष्ट्रपति पुलिस पदक	10 अंक
मा0 प्रधान मंत्री जीवन रक्षा पदक	10 अंक
वीरता पुलिस पदक	10 अंक

सराहनीय सेवा पुलिस पदक	08 अंक
महामहिम राज्यपाल पदक	06 अंक
मा0 मुख्यमत्री पदक	06 अंक
उत्कृष्ट सेवा सम्मान पदक	04 अंक
सराहनीय सेवा सम्मान पदक	02 अंक

(3) वार्षिक मन्तव्य **(15 अंक अधिकतम)**

Outstanding/उत्कृष्ट/सर्वोत्कृष्ट 02 अंक (प्रत्येक मंतव्य पर)

Very good/ Execellent/अतिउत्तम/बहुत अच्छा 01 अंक (प्रत्येक मंतव्य पर)

(4) ऋणात्मक अंक

(क)–विगत 5 वर्ष से पूर्व के सेवाकाल के दौरान प्रत्येक प्रतिकूल सत्यनिष्ठा/दीर्घ दण्ड के लिये 05 अंक की कटौती होगी ।

(ख)–विगत 5 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक लघु दण्ड पर 2 अंक की कटौती होगी।

(ग)– विगत 5 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक छुद्र दण्ड पर 1 अंक की कटौती होगी ।

सेवा अभिलेखों के मूल्यांकन में वार्षिक गोपनीय मन्तव्य/सत्यनिष्ठा विगत 05 वर्षों के आंकलित होंगे तथा दण्ड का आंकलन विगत 10 वर्षों का किया जायेगा जबकि सेवा, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुरूष्कार, पदक आदि के लिए चयन वर्ष की प्रथम जनवरी तक की अवधि के आधार पर सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन किया जायेगा ।

<u>अन्तिम प्रवीणता (मैरिट) सूची–</u>

शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन किया जायेगा। सेवा अभिलेखों हेतु निर्धारित अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को अंक प्रदान किये जायेंगे। चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा, आई0टी0/पी0टी0 परीक्षा एवं सेवा अभिलेखों मे प्राप्त अंकों का योग करने के उपरान्त अंतिम योग्यता सूची तैयार करके उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष श्रेष्ठता के आधार पर विभागीय योग्यता परीक्षा के आधार पर मुख्य आरक्षी पद हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन करते हुए चयनित कर्मियों की मैरिट सूची पी0ए0सी0 मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों के अंक एंव लिखित परीक्षा के अंक समान होने पर श्रेष्ठता का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा:–

(क) नियुक्ति तिथि।

(ख) नियुक्ति तिथि एक ही होने पर जिसकी आयु अधिक होगी वह वरिष्ठ माना जायेगा।

(ग) भर्ती की तिथि तथा जन्म तिथि दोनों समान होने पर सम्बन्धित कर्मियों द्वारा आरक्षी पद के गहन प्रशिक्षण के दौरान आर0टी0सी0 की टैनिंग की समाप्ति पर लिखित एंव बाह्य परीक्षा कुल प्राप्तांकों के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

(घ) भर्ती की तिथि, जन्म तिथि तथा आर0टी0सी0 की परीक्षा से कुल प्राप्तांक समान होने पर सम्बन्धित कर्मियों द्वारा आरक्षी पद के गहन प्रशिक्षण के दौरान आर0टी0सी0 प्रशिक्षण की बाह्य परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

(ड.) पुलिस मुख्यालय द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित करते हुये अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु चयनित किया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को 04 माह का आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा तथा 04 माह प्रशिक्षण सफलता पूर्वक उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का 03 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण कराया जायेगा।

(च) पदोन्नति आदेश आधारभूत प्रशिक्षण एंव व्यवहारिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले कर्मियों को मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने विषयक आदेश मुख्यालय स्तर से निर्गत किये जायेंगे।

परिशिष्ट–3

नियम–5 (3) देखें

ज्येष्ठता के आधार पर मुख्य आरक्षी पी0ए0सी0 (पु0/म0), आई0आर0बी0 एवं स0पु0 के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया:–

पदोन्नति का आधार कैडर विभाजन

पदोन्नति का आधार अनुपयुक्तों को छोड़कर ज्येष्ठता होगा।

अभ्यर्थी को भारत सरकार द्वारा अन्तिमरूप से उत्तराखण्ड राज्य आवंटित हो गया हो तथा वह वर्तमान समय में उत्तराखण्ड में नियुक्त हो।

सेवा अभिलेख

विगत् 05 वर्षों का सेवा अभिलेख सन्तोषजनक हो अर्थात प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो। विगत् 05 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा ना रोकी गयी हो।

"दण्डित कर्मी द्वारा की गयी अपील लंबित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत ना हुई हो अथवा किसी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तथा अभियोग पंजीकृत/विवेचनाधीन / विचाराधीन न्यायालय हो तो "एसे कर्मियों को भी पदोन्नति प्राक्रिया में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा किसी विभागीय कार्यवाही/अभियोग में दण्डित होता है तो संबधित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान निस्तारित ना हो पाये तो लंबित अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में उनका पदोन्नति परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया जायेगा । निलम्बित कर्मियों को भी निर्णय की प्रत्याशा में पदोन्नति प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।

ज्येष्ठता का निर्धारण

ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति देने हेतु मुख्य आरक्षियों की ज्येष्ठता सूची निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर निर्धारित की जायेगी:–

(क) आरक्षी के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि।

(ख) मौलिक नियुक्ति की तिथि एक ही होने पर जिसकी आयु अधिक होगी, वह वरिष्ठ माना जायेगा।

(ग) मौलिक नियुक्ति की तिथि तथा जन्म तिथि दोनों के समान होने पर सम्बंधित कर्मियों द्वारा आरक्षी पद हेतु आर0टी0सी0 प्रशिक्षण समाप्ति लिखित एंव बाह्य परीक्षा के कुल प्राप्तांकों के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

(घ) मौलिक नियुक्ति की तिथि, जन्म तिथि तथा आरक्षी पद हेतु आर0टी0सी0 की परीक्षा में कुल प्राप्तांक समान होने पर आर0टी0सी0 ट्रेनिंग की वाह्य परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

प्रशिक्षण

मुख्य आरक्षी पदोन्नति प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को ऐसा आधारभूत प्रशिक्षण/व्यवहारिक प्रशिक्षण कराया जायेगा, जैसा कि राज्य सरकार या विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाय।

पदोन्नति आदेश

निर्धारित आधारभूत प्रशिक्षण/व्यवहारिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले कर्मियों को मुख्य आरक्षी पी0ए0सी0 (पु0/म0), आई0आर0बी0 एवं स0पु0 के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने विषयक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेगें।

परिशिष्ट–4

नियम–11(ग) देखें

उत्तराखण्ड प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस (पी0ए0सी0 (पु0/म0) एवं आई0आर0बी0) के आरक्षी की सीधी भर्ती के लिये शारीरिक मानक परीक्षण–

शारीरिक मानक परीक्षण–

पुरूष और महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार हैं–

पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक

(क) ऊँचाई

सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति की अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम – 165 से0मी0

पर्वतीय क्षेत्र की अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम –160 से0मी0

अनुसूचित जनजाति की अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम –157.50 से0मी0

(ख) सीने की माप

	बिना फुलाये	फुलाने पर
पीएसी हेतु सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये	78.8 से0मी0	83.8 से0मी0
पुलिस/पीएसी हेतु पर्वतीय क्षेत्र/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये	76.3 से0मी0	81.3 से0मी0

नोटः–सीने में कम से कम 05 से0मी0 का फुलाव आवश्यक है।

महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक

(क) ऊँचाई

सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति की अभ्यर्थिनियों के लिए न्यूनतम – 152 से0मी0

पर्वतीय क्षेत्र की अभ्यर्थिनियों के लिए न्यूनतम – 147 से0मी0

अनुसूचित जनजाति की अभ्यर्थिनियों के लिए न्यूनतम– 147 से0मी0

(ख) वजन न्यूनतम 45 कि0ग्रा0 होना अनिवार्य है।

पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण– देहरादूनः पूरी चकराता तहसील तथा राजपुर की ऊंचाई से ऊपर गंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित देहरादून तहसील के उत्तर तथा पूर्व में स्थित मसूरी पहाड़ी का क्षेत्र, नैनीताल तथा गढ़वाल, कोटद्वार समेत सब माउन्टेन सड़क के ऊपर का क्षेत्र, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिलों के सम्पूर्ण भाग नवसृजित जनपद बागेश्वर, रूद्रप्रयाग एवं चम्पावत का सम्पूर्ण भाग भी इससे पूर्व में क्रमशः जनपद अल्मोड़ा, चमोली एवं पिथौरागढ़ का भाग होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र माना जायेगा।

1. स्टेडियम पुलिस लाईन जहॉ कहीं भी परीक्षण आयोजित हो, वहां परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचना पट्ट (बोर्ड) पर प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यन्त प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाय।

2. सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाईन/स्टेडियम में आयोजित किया जाय। एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण सम्बन्धित भर्ती केन्द्र के प्रभारी द्वारा किया जायेगा।

3. भर्ती बोर्ड के सदस्य, जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुये पाये जाते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होगें।

4. इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, परीक्षण के समाप्त होने के तत्काल बाद परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमापों का उल्लेख करते हुए माईक पर उद्घोषित किया जायेगा, और सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

5. शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।

6— शारीरिक मानक परीक्षण की वीड़ियोग्राफी अनिवार्य रूप से भर्ती केन्द्र प्रभारी के पर्यवेक्षण में करायी जायेगी।

परिशिष्ट–5

नियम–11(घ) देखें

गुल्मनायक सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मानक परीक्षा

गुल्मनायक सीधी भर्ती (पु0/म0) के लिए पुरूष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक अर्हतायें निम्नवत् होंगी:–

(क) ऊँचाई	**पुरूष अभ्यर्थी**	**महिला अभ्यर्थी**
(1) सामान्य जाति/अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	167.70 से0मी0	152 से0मी0
(2) अनुसूचित जनजाति	160 से0मी0	147से0मी0
(3) पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी	162.60 से0मी0	147 से0मी0

(ख) सीने की माप (केवल पुरूषों के लिए)

	बिना फुलाये	**फुलाने पर**
(1) सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये	78.8 से0मी0	83.8 से0मी0
(2) पर्वतीय क्षेत्र/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये	76.5 से0मी0	81.5 से0मी0

(न्यूनतम फुलाव 5 से.मी. अनिवार्य है)

(ग) शारीरिक वजन– 45 कि.ग्रा. न्यूनतम(केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु)

(घ) पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है:–

देहरादून: पूरी चकराता तहसील तथा राजपुर की ऊंचाई से ऊपर गंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित देहरादून तहसील के उत्तर तथा पूर्व में स्थित मसूरी पहाड़ी का क्षेत्र, नैनीताल तथा गढ़वाल, कोटद्वार समेत सब माउन्टेन सडक के ऊपर का क्षेत्र, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी गढवाल तथा उत्तरकाशी जिलों के सम्पूर्ण भाग नवसृजित जनपद बागेश्वर, रूद्रप्रयाग एवं चम्पावत का सम्पूर्ण भाग भी इससे पूर्व में क्रमशः जनपद अल्मोड़ा, चमोली एवं पिथौरागढ का भाग होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र माना जायेगा।

टिप्पणी– पर्वतीय क्षेत्र का वर्गीकरण पूर्व प्रचलित शासनादेश संख्या 256/18–प्रा0शि0–2–88–20(एस0बी0)/82 दिनांक–16–1–1982 के अनुसार किया गया है।

(ङ) स्टेडियम/पुलिस लाईन जहां कहीं भी परीक्षण आयोजित हो, वहां परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचनापट्ट (बोर्ड) पर प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।

(च) सम्पर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाईन/स्टेडियम में आयोजित किया जाय। एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या प्रति टीम 200 से अधिक नहीं होनी चाहिये। यह परीक्षा उसी दिन आरम्भ होनी चाहिए किन्तु गठित किए गए दलों की संख्या जिले में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर घट सकती है।

(छ) दल के सदस्य, जो जानबूझ कर गलत रिपोर्ट देते हुए पाये जाते है दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।

(ज) इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, परीक्षा के समापन होने के तत्काल बाद परीक्षावार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमापों का उल्लेख करते हुए माईक पर उद्घोषित किया जाएगा और सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा और यदि संभव हो तो उत्तराखण्ड पुलिस की वेबसाईट भी नित्य अपलोड किया जायेगा।

(झ) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।

परिशिष्ट–6

नियम–11(ड.) देखें

उत्तराखण्ड प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस के आरक्षी पी0ए0सी0 (पु0/म0) एवं आई0आर0बी0 की सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण

शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु प्रत्येक जनपद में तीन सदस्यीय एक दल द्वारा किया जाएगा, जिसमें सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक अध्यक्ष तथा दो अन्य राजपत्रित अधिकारी सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। परीक्षा हेतु गठित सदस्यों में से 01 सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु गठित बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति पुलिस मुख्यालय द्वारा की जायेगी।

पुरूष अभ्यर्थियों हेतु आईटमवार निर्धारित अंकों का विवरण निम्नवत् है:–

क्र0सं0	आईटम का नाम	दूरी समय	अंक
1	क्रिकेट बाल थ्रो (पूर्णांक 20)	50 मीटर	10
		55 मीटर	12
		60 मीटर	14
		65 मीटर	16
		70 मीटर	20
2	लम्बी कूद (पूर्णांक 20)	13 फिट	10
		14 फिट	12
		15 फिट	14
		16 फिट	16
		17 फिट	18
		18 फिट	20
3	चिनिंग–अप (बीम) (पूर्णांक 20) (अभ्यर्थी अन्डर ग्रिप/ओवर ग्रिप, जो चाहे कर सकता है)		
		5 बार छूना	10
		7 बार छूना	12
		8 बार छूना	14
		9 बार छूना	16
		10 बार छूना	20
4	(क) बैठक (पूर्णांक 10)	50 दो मिनट में	04
		65 दो मिनट में	06
		80 दो मिनट में	08
		100 दो मिनट में	10
	(ख) दण्ड (पूर्णांक 10)		
	(दण्ड एव बैठक के प्राप्तांक मिलाकर न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।)		
		25 मिनट में	4
		35 मिनट में	6
		50 मिनट में	8
		75 मिनट में	10
5	दौड़ व चाल (03 कि0मी0) (पूर्णांक 20)	20 मिनट में	10
		18 मिनट में	12
		16 मिनट में	14

	14 मिनट में	16
	12 मिनट में	18
	10 मिनट में	20

महिला अभ्यर्थियों हेतु आईटमवार निर्धारित अंकों का विवरण निम्नवत् है:-

क्रं0सं0	आईटम का नाम	दूरी/समय	अंक
1.	क्रिकेट बॉल थ्रो (पूर्णांक 20)	16 मीटर	10
		20 मीटर	12
		24 मीटर	14
		28 मीटर	16
		32 मीटर	20
2	लम्बी कूद (पूर्णांक 20 अंक)	08 फिट	10
		09 फिट	12
		10 फिट	14
		11 फिट	16
		12 फिट	18
		13 फिट	20
3	दौड़ 50 मीटर (पूर्णांक 20)	16 सेकेण्ड	10
		15 सेकेण्ड	12
		14 सेकेण्ड	14
		13 सेकेण्ड	16
		12 सेकेण्ड	18
		11 सेकेण्ड	20
4	शटल रेस(25x04मीटर) (पूर्णांक 20)	29 सेकेण्ड	10
		28 सेकेण्ड	14
		27 सेकेण्ड	18
		26 सेकेण्ड	20
5	स्किपिंग(पूर्णांक 20)	55 बार 1 मिनट में	10
		60 बार 1 मिनट में	12
		65 बार 1 मिनट में	14
		70 बार 1 मिनट में	16
		75 बार 1 मिनट में	18
		80 बार 1 मिनट में	20

(क) उपरोक्तानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी।

(ख) शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रत्येक आइटम में अभ्यर्थी को 50 अंक प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। जो अभ्यर्थी किसी भी आइटम में 50 प्रतिशत अंक से कम अंक प्राप्त करेगा उसे उसी स्तर से अनुपयुक्त घोषित कर परीक्षा से बाहर कर दिया जायेगा।

(ग) शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रत्येक आइटम में अभ्यर्थी के उपस्थिति प्रपत्र में हस्ताक्षर कराया जायेगा।

(घ) भर्ती केन्द्र प्रभारी द्वारा अभ्यर्थियों की सूचियां/तालिकायें पहले से ही तैयार कर ली जायेंगी एंव एक शीट पर 20 अभ्यर्थियों के ही नाम लिखे जायेंगे। प्रत्येक अंक तालिका में सभी अभ्यर्थियों को अंक देन के उपरान्त परीक्षक द्वारा उस पर अपनी मोहर लगाकर हस्ताक्षर किये जायेंगे तथा उसे सील कर लिफाफे के बाहर अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक तथा परीक्षा के आइटमों का नाम अंकित कर चयन समिति के अध्यक्ष को दे दिया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा की अंक तालिका में कटिंग, ओवर राईटिंग न हो इसका विशेष

ध्यान रखना परीक्षकों के लिये आवश्यक है, यदि सावधानी रखने के उपरान्त भी कहीं कटिंग हो जाती है तो इस पर स्वयं अपने हस्ताक्षर कर चयन समिति के अध्यक्ष से प्रतिहस्ताक्षर करायेंगे। अंक तालिकाओं की सभी प्रतिष्टियां पैन से लिखी जायेंगी तथा पेंसिल से लिखना वर्जित होगा ।प्रत्येक दिवस अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा के पश्चात् उनका परीक्षा परिणाम सील बन्द लिफाफे में सुरक्षित रखा जायेगा।

(ङ.) अनुत्तीर्ण घोषित किये गये सभी अभ्यर्थियों को अंक तालिकायें प्रदान की जायेंगी एंव इसकी प्रति सुसंगत अभिलेखों में दर्ज करा ली जायेंगी। अंक तालिकाओं की स्लिप निर्धारित प्रारूप में डुप्लीकेट में बनाई जायेंगी तथा प्रत्येक आइटम के अंक उस पर अंकित किये जायेंगे। अभ्यर्थी जिस आइटम में फेल हो जाता है उसे उसकी अंक तालिका में अंकित कर एक प्रति उसी समय अभ्यर्थी को दे दी जायेगी तथा दूसरी प्रति पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करा लिये जायेंगे साथ ही इन सभी परिणामों को परीक्षा केन्द्र के नोटिंस बोर्ड पर जन सामान्य की सूचना हेतु चस्पा कर दिया जायेगा।

(च) यदि किसी दिन किसी आइटम की परीक्षा किसी कारणवश अधूरी रहती है तो उससे सम्बन्धित तालिका सीलबन्द कवर में क्वार्टर गार्द की सेफ में सुरक्षित रखी जायेगी। दूसरे दिन परीक्षा प्रारम्भ होने पर ही उसे सेफ से निकालकर अग्रिम परीक्षा ली जायेगी।

(झ) शारीरिक दक्षता परीक्षण की परीक्षा के लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।

(ट) शारीरिक मानक परीक्षण की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से भर्ती केन्द्र प्रभारी के पर्यवेक्षण में करायी जायेगी।

परिशिष्ट–7

नियम–11(च) देखें

गुल्मनायक (पु0/म0) की शारीरिक दक्षता परीक्षा

प्लाटून कमाण्डर के पद पर सीधी भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक के पर्यवेक्षण में कराई जाएगी। जनपदों में शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु चयन समिति का गठन परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक द्वारा किया जायेगा। चयन समिति में निम्नलिखित अधिकारी नामित किये जायेंगे:–

1–वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक स्तर का एक अधिकारी — अध्यक्ष

2–अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक स्तर के दो अधिकारी– सदस्य

चयन समिति में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का एक अधिकारी सम्मिलित किया जायेगा।

3– शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आइटम मानक में न्यूनतम मानक पूर्ण न किये जाने की दशा में अभ्यर्थी को असफल/अनुत्तीर्ण घोषित किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए मानक निम्नवत होंगे:–

पुरूष अभ्यर्थियों के लिए

आइटम मानक

1– क्रिकेट बाल थ्रो–	50 मीटर
2– लम्बी कूद –	13 फीट
3– चिनिंग अप –	05 बार
4– दौड़ व चाल–	05 किमी0(30 मिनट में)
5– दण्ड–बैठक –	**(क)** 02 मिनट 30 सेकेण्ड में 40 दण्ड
	(ख) 60 सेकेण्ड में 50 बैठक

महिला अभ्यर्थियों के लिए

आइटम मानक

1– क्रिकेट बाल थ्रो–	20 मीटर
2– लम्बी कूद –	08 फीट
3– दौड़ व चाल–	200 मीटर(40सेकेण्ड में)
4– स्किपिंग –	01 मिनट में 60 बार
5–शटल रेस (25X4मीटर) –	29 सेकेण्ड में

(क) ऐसे प्रत्येक दल के लिए अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में 100 (एक सौ) से अनधिक इस प्रकार विनिश्चित की जाएगी जिससे कि परीक्षा की गुणवत्ता और उसकी प्रक्रिया प्रभावित न हो। इस परीक्षा/ परीक्षण को सम्पूर्ण राज्य में एक सप्ताह के भीतर पूरा किया जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की दशा में पुलिस महानिदेशक ऐसा कोई विनिश्चिय कर सकते है और अपेक्षित समय का अवधारण कर सकते है, जिससे सम्पूर्ण प्रकिया पूर्ण हो सके।

(ख) जहॉ कही परीक्षण, परीक्षा संचालन के पूर्व किया जाना, वहॉ प्रत्येक परीक्षा हेतु अर्हता के लिए न्यूनतम शारीरिक मानकों का प्रदर्शन स्टेडियम/पुलिस लाईन में सूचना पट्टों पर प्रमुखता से किया जायेगा।

(ग) शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा और जहॉ सम्भव हो उत्तराखण्ड पुलिस की वेबसाईट पर नित्य अपलोड किया जाएगा।

(घ) दल के सदस्य जो जानबूझकर मिथ्या रिपोर्ट देंगे, दण्डित कार्यवाहियों के भागी होंगे।

(ङ) शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तीर्ण/असफल अभ्यर्थियों की सूची सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी और बोर्ड की वेब साईट पर नित्य अपलोड़ की जायेगी। एक बार 100 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूर्ण हो जाने पर सफल अभ्यर्थियों की सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु गठित चयन समिति संयुक्त हस्ताक्षरों से घोषित की जाएगी।

(च) इस अर्हकारी परीक्षण का परिणाम माइक पर घोषित किया जाएगा (जिसमें परीक्षण समाप्त होने के तत्काल पश्चात परीक्षावार प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम उल्लिखित होगा) सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा और यदि संभव हो तो उत्तराखण्ड पुलिस की वेबसाईट पर नित्य अपलोड किया जायेगा।

(छ) शारीरिक दक्षता परीक्षण की परीक्षा के लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा।

परिशिष्ट–8

नियम–11(छ) देखें

लिखित परीक्षाः– आरक्षी पी0ए0सी0 (पु0/म0) एवं आई0आर0बी0 सीधी भर्ती हेतु शारीरिक नापजोख तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल/उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को ही लिखित परीक्षा में शामिल किया जायेगा।

(क) लिखित परीक्षा का आयोजन तत्समय राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था द्वारा कराया जायेगा।

(ख) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परीक्षा के प्रारम्भ होने के एक सप्ताह पूर्व अभ्यर्थी के पास बुलावा पत्र अवश्य पहुंच जायें। यदि कोई अभ्यर्थी को एक सप्ताह पूर्व तक बुलावा पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो वह बोर्ड की हेल्पलाईन मोबाइल/लैण्डलाईन टेलीफोन या वेबसाइट के माध्यम से या सम्बन्धित भर्ती केन्द्र से सम्पर्क करके इसकी दूसरी प्रति प्राप्त कर सकता है। लिखित परीक्षा की तिथि से अभ्यर्थियों को सम्बन्धित भर्ती केन्द्र के प्रभारियों द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से भी अवगत कराया जायेगा।

(ग) लिखित परीक्षा पूरे राज्य में एक ही दिनांक और समय पर आयोजित की जायेगी।

(घ) लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ शैली की होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न 70 अंक के एंव हिन्दी भाषा के प्रश्न 30 अंक के होंगे। इस प्रकार लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी जो 90 मिनट की होगी।

(ङ.) लिखित परीक्षा में अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(च) उक्त वस्तुनिष्ठ परीक्षा का 01 प्रश्न पत्र होगा। प्रश्नपत्र के मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर के लिये 01 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 (0.25) ऋणात्मक अंक प्रदान किया जायेगा। लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(छ) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट **(OMR Sheet)** कार्बन प्रति के साथ तीन प्रतियों में होगी। **(OMR Sheet)** की प्रथम मूल प्रति परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था द्वारा मूल्याकंन/अभिलेख हेतु रखी जायेगी। दूसरी कार्बन प्रति लिखित परीक्षा कराने वाली संस्था/विभाग की अभिरक्षा में रखी जायेगी। तृतीय प्रति अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(ज) लिखित परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तरमाला सम्बंधित चयन आयोग तथा उत्तराखण्ड पुलिस की बैबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी।

(झ) लिखित परीक्षा सम्पादित कराने वाली संस्था द्वारा लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करने के साथ ही सभी अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को उत्तरखण्ड पुलिस की बैबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा।

(ण) लिखित परीक्षा के उपरान्त मैरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को चिकित्सा परीक्षा के लिए पुलिस चिकित्सालय/जिला चिकित्सालयों पर भेजा जायेगा ।

(ट) आरक्षी पी0ए0सी0 (पु0/म0) एवं आई0आर0बी0 पद हेतु अन्तिम चयन/मैरिट सूची–

शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा के अंको के योग के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों एवं ज्येष्ठता निर्धारण हेतु निर्धारित नियमों के दृष्टिगत सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षकों (प्रभारी भर्ती केन्द्र) द्वारा जनपदवार अन्तिम प्रवीणता (मैरिट) सूचियां तैयार की जायेंगी।

अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी, उसे ज्येष्ठता क्रम में रखा जायेगा। यदि अपवाद स्वरूप दोनों अभ्यर्थियों की जन्मतिथि भी एक समान होती है तो ऐसी स्थिति में लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ज्येष्ठता प्रदान की जायेगी। लिखित परीक्षा में भी समान अंक होने पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंक के आधार पर ज्येष्ठता प्रदान की जायेगी। अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी एवं संबंधित चयन आयोग तथा पुलिस विभाग की बैबसाईट तथा स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की कोई प्रतीक्षा सूची नहीं बनाई जायेगी।

परिशिष्ट–9

नियम–11(ज) देखें

गुल्मनायक (पु0/म0) के सीधी भर्ती हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार की 300 अंको की लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा का विवरण निम्नवत् है:–

विषय	अधिकतम अंक/समय
1–सामान्य हिन्दी (हाई स्कूल स्तर)	100 अंक (समय 01 घण्टा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक)
2–सामान्य ज्ञान एवं मैन्टल एप्टीटयूड टेस्ट	200 अंक (समय 02 घण्टा)
(क) सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण	50 प्रश्न(प्रत्येक प्रश्न 01 अंक)
(ख) सामान्य जागरूकता	75 प्रश्न(प्रत्येक प्रश्न 01 अंक)
(ग) गणितीय क्षमता (हाई स्कूल स्तर)	75 प्रश्न(प्रत्येक प्रश्न 01 अंक)

(दो) प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 ऋणात्मक अंक प्रदान किया जायेगा। उत्तर पुस्तिका/OMR SHEET कार्बन प्रति के साथ तीन प्रतियों में होगी, OMR SHEET की प्रथम मूल प्रति परीक्षा आयोजन करने वाली संस्था द्वारा मूल्यांकन एवं अभिलेख हेतु रखी जायेगी। OMR SHEET की दूसरी कार्बन प्रति(मय छायाप्रति) लिखित परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था की अभिरक्षा में रखी जायेगी। OMR SHEET की तृतीय कार्बन प्रति परीक्षा के बाद अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकेंगे। लिखित परीक्षा के पश्चात प्रश्न पत्र की उत्तरमाला (Answer Key) संबंधित चयन आयोग एवं उत्तराखण्ड पुलिस की वैबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी।

(तीन) लिखित परीक्षा में अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही उन्हें प्रवीणता (मैरिट) सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

(चार) गुल्मनायक पद हेतु प्रवीणता (मैरिट) सूची:–

(1) लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण नियमों के दृष्टिगत एकीकृत श्रेणीवार प्रवीणता (मैरिट) सूचियां बनाई जायेगी। चयन का परिणाम घोषित करने के बाद सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को संबंधित चयन आयोग एवं उत्तराखण्ड पुलिस की वैबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा।

(2) उक्त चयन हेतु कोई प्रतीक्षा सूची नहीं बनाई जायेगी।

(3) लिखित परीक्षा के उपरान्त मैरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को चिकित्सा परीक्षा के लिए पुलिस चिकित्सालय/जिला चिकित्सालयों पर भेजा जायेगा ।

परिशिष्ट–10

नियम–11(झ) देखें

चिकित्सा/स्वास्थ्य परीक्षण

स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्सा बोर्ड द्वारा चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित किसी राजपत्रित अधिकारी/सदस्य की देख–रेख में कराया जायेगा। अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण फार्म भर्ती केन्द्र के जनपद में नियुक्त प्रतिसार निरीक्षक, नियमानुसार भरवाकर हस्ताक्षर करवायेंगे। सम्बन्धित भर्ती केन्द्र प्रभारी वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा बोर्ड गठित कर मेडिकल करवाने हेतु सम्पर्क स्थापित करेंगे। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु मैडिकल मैनुअल के प्रस्तर–186 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अन्तिम रूप से कान्स0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार कोई फीस देय नहीं है। स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक अर्हतायें निम्नवत् है:–

अभ्यर्थी मेडिकल रूप से फिट होनी चाहिए। दृष्टि एक ऑख में 6/6 और दूसरी ऑख में 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए अर्थात बिना चश्में के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों/अभ्यर्थिनियों के लिये दाहिनी ऑख के लिये 6/6 और बायें हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों/ अभ्यर्थिनियों की बायीं ऑख के लिये 6/6 होनी चाहिए। वर्ण–अन्धता/भैंगापन से पूर्णरूप से मुक्त होना आवश्यक है। सटा घुटना, सपाट पैर, बो–लैग, वैरिकोस वेन, हकलाना, विकलागता और अन्य विकृतयॉ या समस्याये जो आरक्षी की ड्यूटी मे किसी प्रकार की बाधा पैदा करें, को अयोग्यता माना जायेगा।

टिप्पणी:– चिकित्सा बोर्ड नाक–नी, बो लेग्स, फ्लैट फीट, वेरीकोस वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण परीक्षण, जिसमें रि नेज परीक्षण, वेब्बर्स परीक्षण और वर्टिगो परीक्षण आदि समाविष्ट हैं, जैसी कमियों का भी परीक्षण करेगा।

चिकित्सा परिषद के सदस्य जो जानबूझ कर गलत रिपोर्ट देते पाये जाते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे। चिकित्सकीय परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न होगा।

परिशिष्ट–11

नियम–24 देखें

गुल्मनायक के पद पर पदोन्नति हेतु अन्तिम रूप से चयनित कार्मिकों को उनके द्वारा दिये गये विकल्प एवं संवर्ग (पी0ए0सी0, आई0आर0बी0 एवं स0पु0) में पद की उपलब्धता के आधार पर पदोन्नति की जायेगी। गुल्मनायक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती हेतु लिखित परीक्षा के विषय एवं अंकों का विवरण निम्नवत् है:–

विषय	अधिकतम अंक
(1) सामान्य ज्ञान/सामान्य हिन्दी	100 अंक
(2) पुलिस प्रक्रिया	100 अंक
(3) विधि	100 अंक

(क) लिखित परीक्षा हेतु तीन भाग का एक वस्तुनिष्ठ (Objective Type) प्रश्न पत्र तैयार किया जायेगा। प्रथम भाग में सामान्य ज्ञान एवं सामान्य हिन्दी, द्वितीय भाग में पुलिस प्रक्रिया तथा तृतीय भाग विधि (Law) का होगा। कुल प्रश्न पत्र 300 अंकों का होगा तथा प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 02 अंक निर्धारित होंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर आधा अंक काट लिया जायेगा। प्रश्न संख्या 01 से 50 तक सामान्य ज्ञान/सामान्य हिन्दी, प्रश्न संख्या 51 से 100 तक पुलिस प्रक्रिया एवं प्रश्न संख्या 101 से 150 तक विधि (Law) से सम्बन्धित होंगे। प्रश्न पत्र हल करने हेतु 02 घन्टे का समय निर्धारित होगा। सामान्य ज्ञान/सामान्य हिन्दी का प्रश्न पत्र इण्टरमीडिएट स्तर का होगा तथा पुलिस प्रक्रिया व विधि (Law) विषयों के प्रश्नों का स्तर वह होगा जो सामान्य रूप से किसी पुलिस कर्मी द्वारा पुलिस विभाग की सेवा में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस/अभिसूचना के पद पर नियुक्ति हेतु अपेक्षित हो। प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था तथा मूल्यांकन पुलिस मुख्यालय स्तर पर इस निमित्त गठित चयन समिति के माध्यम से कराई जायेगी। प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिकायें इस प्रकार से तैयार करायी जायेंगी कि इनका मूल्यांकन कम्प्यूटर से कराया जा सके।लिखित परीक्षा हेतु ओएमआर शीट तीन प्रतियों में तैयार की जायेगी। लिखित परीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात ओएमआर शीट की मूल प्रति लिखित परीक्षा आयोजित कराने वाले संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। ओएमआर शीट की कार्बन प्रति(मय छायाप्रति) सम्बन्धित वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक एवं सेनानायक की अभिरक्षा में डबल लॉक में सुरक्षित रखी जायेगी। ओएमआर शीट की एक कार्बन प्रति सम्बन्धित अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकेगा।चयन प्रक्रिया में आगे बने रहने हेतु लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होंगे। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने में विफल होंगे, उन्हें पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित करते हुए उसी स्तर (Stage) पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा। लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अंर्जित करने वाले अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) में सम्मिलित किया जायेगा।

(ख) शारीरिक दक्षता परीक्षा

चयनित अभ्यर्थियों को अर्हकारी प्रकृति की एक शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना आवश्यक है। पुरूष अभ्यर्थियों से 35 मिनट में 05 किलोमीटर की दौड और महिला अभ्यर्थियों से 25 मिनट में 03 किलोमीटर की दौड पूरी करने की अपेक्षा की जायेगी।

(ग) सेवा अभिलेख– 50 अंक

सेवा अभिलेखों के 50 अंकों का विभाजन निम्नवत है:–

1–**कोर्स** 10 अंक अधिकतम

कोर्स का निर्धारण पुलिस महानिदेशक स्तर से विज्ञापन निर्गत करने से पूर्व वर्तमान परिवेश में पुलिस के समक्ष चुनौतियों के अनुरूप पारदर्शी तरीके से किया जायेगा। आरक्षी के पद पर चयन/नियुक्त होने के उपरांत संबंधित कर्मचारी द्वारा किये गये कोर्स के अंक प्रशिक्षण अवधि के अनुसार निम्नानुसार प्रदान किये जायेंगें:–

(क) 03 दिन से 07 दिन तक का कोर्स– 02 अंक
(ख) 08 दिन से 14 दिन का कोर्स– 04 अंक
(ग) 15 दिन से 30 दिन तक का कोर्स– 06 अंक
(घ) 01 माह से अधिक का कोर्स– 08 अंक

2–**पुरूस्कार/पदक–25 अंक अधिकतम (क+ख) = 25 अंक**
(क) प्रत्येक नकद रिवार्ड के लिए 01 अंक **(अधिकतम 10 अंक)**
(ख) महामहिम राष्ट्रपति पुलिस पदक 10 अंक
मा0 प्रधान मन्त्री जीवन रक्षा पदक 10 अंक
वीरता पुलिस पदक 10 अंक
सराहनीय सेवा पुलिस पदक 08 अंक
महामहिम राज्यपाल पदक 06 अंक
मा0 मुख्यमन्त्री पदक 06 अंक
उत्कृष्ठ सेवा सम्मान चिन्ह 04 अंक
सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह 02अंक

3–**वार्षिक मन्तव्य– 15 अंक अधिकतम**
(क) Outstanding उत्कृष्ट/सर्वोत्कृष्ट 02 अंक प्रत्येक मन्तव्य पर
(ख) Very good /Execellent/ अति उत्तम/ बहुत अच्छा 01 अंक प्रत्येक मन्तव्य पर

4– **ऋणात्मक अंक**
(क) विगत 5 वर्ष से पूर्व के सेवाकाल के दौरान प्रत्येक प्रतिकूल सत्यनिष्ठा/दीर्घ दण्ड के लिये 05 अंक की कटौती होगी ।
(ख) विगत 05 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक लघु दण्ड पर 02 अंक की कटौती होगी।
(घ) विगत 05 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक छुद्र दण्ड पर 01 अंक की कटौती होगी।

सेवा अभिलेखों के मूल्यांकन में वार्षिक गोपनीय मन्तव्य/सत्यनिष्ठा विगत 05 वर्षो के आंकलित होंगे तथा दण्ड का आंकलन विगत 10 वर्षो का किया जायेगा, जबकि सेवा, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुरूस्कार, पदक आदि के लिए चयन वर्ष की प्रथम जुलाई तक की अवधि के आधार पर सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन किया जायेगा।

5– **चयन प्रक्रिया**

पात्र अभ्यर्थियों में से चयन हेतु पुलिस मुख्यालय स्तर से निर्गत निर्देशानुसार लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा/दौड़ कराई जायेगी, जो अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा/दौड निर्धारित अवधि में पूर्ण करने में विफल होंगे उन्हें उसी स्टेज पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा/दौड़ में सफल अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन उक्त मानकों के अनुसार जनपद/वाहिनी प्रभारियों द्वारा स्वयं करके सेवा अभिलेखों के लिए निर्धारित अंक उन्हीं के द्वारा प्रदान किये जायेंगे, सेवा अभिलेख के जिस चार्ट में अभ्यर्थियों को सेवा अभिलेखों पर आधारित अंक प्रदान किये जायेंगे, वह चार्ट समस्त अभ्यर्थियों को दिखाकर उनसे इस बात की पुष्टि कराते हुए चार्ट में प्रत्येक अभ्यर्थी के हस्ताक्षर कराये जायेंगे कि उनके सेवा अभिलेखों पर आधारित समस्त प्रविष्टियों के अंक उन्हें प्रदान कर दिये गये हैं, तदोपरान्त अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेख चार्ट सम्बन्धित भर्ती केन्द्र/पी0ए0सी0 वाहिनी प्रभारियों द्वारा अपने परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक को अभ्यर्थियों की चरित्र पंजिकाओं सहित उपलब्ध कराये जायेंगे, जिनका सेवा अभिलेखों से परीक्षण परिक्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर करने के उपरान्त अभ्यर्थियों को सेवा अभिलेखों पर आधारित प्राप्त अंकों का विवरण/चार्ट चयन समिति को उपलब्ध कराया जायेगा। चयन समिति का गठन पुलिस महानिदेशक द्वारा किया जायेगा चयन समिति में निम्नलिखित विवरण के अनुसार अधिकारी नामित किये जायेंगे:–

1--पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर के अधिकारी — अध्यक्ष
2--सेनानायक स्तर के अधिकारी — सदस्य
3--सहायक सेनानायक/अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी — सदस्य

आवश्यकतानुसार चयन समिति के सहयोगार्थ अन्य अपर पुलिस अधीक्षक /पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों को भी नियुक्त किया जा सकता है।

(एससी/एसटी अथवा ओबीसी श्रेणी के एक अधिकारी को चयन समिति में सम्मिलित किया जाना आवश्यक होगा।)

चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं सेवा अभिलेखों में प्राप्त अंकों का योग करने के उपरान्त अन्तिम योग्यता सूची तैयार करके उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष श्रेष्ठता के आधार पर रैंकर गुल्मनायक/उप निरीक्षक--स0पु0 प्रशिक्षण हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–7
संख्याः 1145/XX–7/2019–01(70)2016
देहरादून दिनांक 28 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्याः 1, वर्ष 2008) की धारा 13 एवं धारा 87 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस (पी0ए0सी, ए0पी0 एवं आई0आर0बी0) आरक्षी, मुख्य आरक्षी, गुल्मनायक, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस, दलनायक एवं प्रतिसार निरीक्षक अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2019 को उन बातों के सिवाए जिन्हे ऐसे संशोधन से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

उत्तराखण्ड प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस (पी0ए0सी,ए0पी0 एवं आई0आर0बी0) आरक्षी, मुख्य आरक्षी,गुल्मनायक, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस, दलनायक एवं प्रतिसार निरीक्षक अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियमावली ,2020

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त **नाम** उत्तराखण्ड प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस (पी0ए0सी,ए0पी0 एवं आई0आर0बी0) आरक्षी, मुख्य आरक्षी,गुल्मनायक, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस, दलनायक एवं प्रतिसार निरीक्षक अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियमावली ,2020 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नाम मे परिवर्तन

2. उत्तराखण्ड प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस (पी0ए0सी,ए0पी0 एवं आई0आर0बी0) आरक्षी, मुख्य आरक्षी, गुल्मनायक, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस, दलनायक एवं प्रतिसार निरीक्षक अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2019 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) के संक्षिप्त **नाम** को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्ः–
"उत्तराखण्ड प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलेरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2019"

नियम 2 का संशोधन

3. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 2 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्ः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
उत्तराखण्ड प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस (पीएसी, ए0पी0 एवं आईआरबी) आरक्षी, मुख्य आरक्षी, गुल्मनायक, उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस, दलनायक एवं प्रतिसार निरीक्षक अधीनस्थ सेवा है, जिसमें समूह ग के पद समाविष्ट हैं।	उत्तराखण्ड प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी (पीएसी, आईआरबी) आरक्षी, मुख्य आरक्षी, गुल्मनायक, उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस, दलनायक एवं प्रतिसार निरीक्षक अधीनस्थ सेवा है, जिसमें समूह ग के पद समाविष्ट हैं।
नियम 3 का संशोधन	4. मूल नियमावली के नियम 3 के खण्ड (ग) को विलोपित करते हुए नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड (ञ),(ट)(य)के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–
स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ञ) ''पीएसी मुख्यालय'' से यथा स्थिति पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड के अधीन चल रहे प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस कार्यालय अभिप्रेत है।	(ञ) "पीएसी मुख्यालय" से यथा स्थिति पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड के अधीन चल रहे उत्तराखण्ड प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी कार्यालय अभिप्रेत है।
(ट) "सेवा" से उत्तराखण्ड प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस (पीएसी, ए0पी0 एवं आईआरबी) आरक्षी, मुख्य आरक्षी, गुल्मनायक, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस, दलनायक, एवं प्रतिसार निरीक्षक अधीनस्थ सेवा अभिप्रेत है।	(ट) सेवा से उत्तराखण्ड प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी (पी.ए.सी एवं आईआरबी) आरक्षी, मुख्य आरक्षी, गुल्मनायक, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस, दलनायक, एवं प्रतिसार निरीक्षक अधीनस्थ सेवा अभिप्रेत है।
(य) ''प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस के अधीनस्थ'' से प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस, आई.आर.बी, जिला पुलिस की सशस्त्र पुलिस शाखा, प्रशिक्षण संस्थान, निरीक्षक स0पु0, गुल्मनायक, सहायक शिविरपाल, उप निरीक्षक यातायात, सूबेदार सैन्य सहायक, प्रशिक्षण संरथानों एवं जीआरपी में तैनात उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस, निरीक्षक सशस्त्र पुलिस, दलनायक, शिविरपाल, प्रतिसार निरीक्षक,	(य) उत्तराखण्ड प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के अधीनस्थ से प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस, आई.आर.बी, प्रशिक्षण संस्थान, निरीक्षक स0पु0, गुल्मनायक, सहायक शिविरपाल, उप निरीक्षक यातायात, सूबेदार सैन्य सहायक, प्रशिक्षण संरथानों एवं जीआरपी में तैनात उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस, निरीक्षक सशस्त्र पुलिस, दलनायक, शिविरपाल, प्रतिसार निरीक्षक, यातायात निरीक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान व जीआरपी में नियुक्त निरीक्षक के पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने

यातायात निरीक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान व जीआरपी में नियुक्त निरीक्षक के पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से अभिप्रेत है।

के पूर्व आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से अभिप्रेत है।

नियम 5 का संशोधन

5. मूल नियमावली मे नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 5(क),5(ख),5(ख)(1), 5(ग)(2), 5(3)(ख) ,5(घ) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5(क) आरक्षी पीएसी (पुरूष/महिला) एवं आई.आर.बी. आरक्षी प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस के शत प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।	**5(क)** आरक्षी पी.ए.सी. (पुरूष/महिला) एवं आई. आर.बी. प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के शत प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।
5(ख) मुख्य आरक्षी पीएसी (पुरूष/महिला), ए0पी0 एवं आईआरबी (1) 50 प्रतिशत पदों पर पात्र आरक्षियों के मध्य संवर्गवार विभागीय योग्यता परीक्षा के आधार पर पदोन्नति की जायेगी, जिसकी प्रकिया परिशिष्ट–2 में दी गई है।	**5(ख)** मुख्य आरक्षी पी.ए.सी. (पुरूष/महिला) एवं आई.आर.बी.। (1) 50 प्रतिशत पदों पर पात्र आरक्षियों के मध्य विभागीय योग्यता परीक्षा के आधार पर पदोन्नति की जायेगी, जिसकी प्रकिया परिशिष्ट–2 में दी गई है।
5(ग)(2) गुल्मनायक के 33 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त आरक्षी एवं मुख्य आरक्षियों को प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस की विभिन्न दल के सशस्त्र पुलिस से विभागीय योग्यता परीक्षा के आधार पर निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वालों में से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।	**5(ग)(2)** गुल्मनायक के 33 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के आरक्षी, मुख्य आरक्षियों एवं सशस्त्र पुलिस के मुख्य आरक्षियों में से पुलिस के विभिन्न दलों से विभागीय योग्यता परीक्षा के आधार पर निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वालों में से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।
5(3)–ख–सेवाभिलेख विगत 5 वर्षों का सन्तोषजनक हो अर्थात कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो, विगत 5 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गयी हो।	**5(3)–ख**–सेवाभिलेख विगत 5 वर्षों का सन्तोषजनक हो अर्थात कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो, विगत 5 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गयी हो। परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गयी

परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गयी अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो अथवा किसी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तथा अभियोग न्यायालय में पंजीकृत/ विवेचनाधीन/विचाराधीन हो तो ऐसे कर्मियों को भी पदोन्नति प्रक्रिया में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा किसी विभागीय कार्यवाही/ अभियोग में दण्डित होता है तो सम्बन्धित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया से बहार कर दिया जायेगा। यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/ अभियोग पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही/ अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में उनका पदोन्नति परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया जायेगा।

5(घ) दलनायक के पद पर ऐसे उप निरीक्षक एवं गुल्मनायक को अनुपयुक्त को छोड़कर ज्येष्ठता के आधार पर नियमित पदोन्नति हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने इस पद पर 10 वर्ष की सेवा चयन वर्ष की प्रथम जुलाई की तिथि तक पूर्ण कर ली हो और विगत 05 वर्षो का सेवा अभिलेख संतोषजनक हो।

अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो अथवा किसी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तथा अभियोग न्यायालय में पंजीकृत/विवेचनाधीन /विचाराधीन हो तो ऐसे कर्मियों को भी पदोन्नति प्रक्रिया में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा किसी विभागीय कार्यवाही/अभियोग में दण्डित होता है तो सम्बन्धित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया से बहार कर दिया जायेगा। यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/ अभियोग पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही /अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में उनका पदोन्नति परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया जायेगा। अपील/विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के पश्चात ही निर्णय के सादृश्य सम्बन्धित कर्मी का सीलबन्द लिफाफा खोला जायेगा।

5(घ) दलनायक के पद पर पदोन्नति हेतु ऐसे उप निरीक्षक एवं गुल्मनायक पात्र होगें, जिन्होंने इस पद पर 10 वर्ष की सेवा चयन वर्ष की प्रथम जुलाई की तिथि तक पूर्ण कर ली हो। विगत 05 वर्षो का सेवा अभिलेख संतोषजनक हो अर्थात कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित ना हो, विगत 05 वर्षो में कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो, विगत 05 वर्षो में कोई लघु दण्ड ना मिला हो एवं विगत 05 वर्षो में कभी सत्यनिष्ठा ना रोकी गई हो:

परन्तु यदि दंडित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो, अथवा किसी कर्मी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही लम्बित हो तथा अभियोग न्यायालय में

पंजीकृत/विवेचनाधीन/ विचाराधीन हो तो ऐसे कर्मी को भी उक्त पदोन्नति हेतु सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही/अभियोग में दण्डित होता है तो संबंधित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही / अभियोग परीक्षा प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में उनके पदोन्नति परिणाम लिफाफे में सीलबंद रख दिये जायेंगे। अपील/विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अंतिम निर्णय होने के पश्चात् निर्णय के सादृश्य संबंधित कर्मी का सीलबंद लिफाफा खोला जायेगा ।

टिप्पणी:– जहॉ विद्यमान नियम से निरीक्षक के पद पर चयन प्रक्रिया के माध्यम से पदोन्नत किए जाने वाले कर्मियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, ऐसी दशा में समय–समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया नियमावली, 2013 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

नियम 6 का संशोधन

6. मूल नियमावली मे नियम 6 के नोट को विलोपित कर दिया जायेगा।

नियम 11 का संशोधन

7. मूल नियमावली के नीचे रतम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–11,11(क) (दो), 11(क) (छः), 11(ख) (2),11(छः) ,11 (ज), 11 (अ) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
11. प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस के गुल्मनायक एवं आरक्षी के पदों पर सीधी भर्ती निम्नलिखित रीति से की जायेगी:–	11. प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के गुल्मनायक एवं आरक्षी के पदों पर सीधी भर्ती निम्नलिखित रीति से की जायेगी:–
11(क)(दो) भर्ती हेतु निर्गत विज्ञप्ति में अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र भी प्रिन्ट कराया जायेगा एवं पूर्ण रूप से भरे हुये तथा समस्त संलग्नकों सहित आवेदन पत्र संबंधित जिले के भर्ती केन्द्र में अन्तिम तिथि को सायं 17.00 बजे तक जमा करना होगा। आवेदन पत्र जिले के भर्ती केन्द्र के निर्धारित कार्यालय में कार्यालय दिवस में सीधे भी जमा किए जा सकते हैं। अपूर्ण आवेदन पत्रों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।	**11(क)(दो)** आरक्षी एवं गुल्मनायक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति नियम 3 (ल) में निहित प्राविधान के अनुसार सम्बन्धित चयन आयोग द्वारा निर्गत की जायेगी। आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित आयोग को अन्तिम तिथि की सायं 17.00 बजे तक जमा करना होगा। आवेदन पत्र सम्बन्धित चयन आयोग के कार्यालय में कार्यालय दिवस में सीधे भी जमा किए जा सकते हैं। अपूर्ण आवेदन पत्रों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
11(क)(छः) प्रत्येक आवेदन पत्र में यथास्थिति आयु, हाईस्कूल, इण्टर मीडिएट और स्नातक/ स्नातकोत्तर, खेल, होमगार्ड प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न होनी चाहिए। समुचित रूप से भरे गऐ पूर्ण आवेदन पत्रों को सम्बन्धित वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक कार्यालय(भर्ती केन्द्र) में जमा कराना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र में संलग्न किए गए स्वप्रमाणित समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां शारीरिक मानक परीक्षण के दौरान भर्ती केन्द्र में सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।	**11(क)(छः)** प्रत्येक आवेदन पत्र में यथास्थिति आयु, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट और स्नातक/ स्नातकोत्तर, खेल, होमगार्ड प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न होनी चाहिए। समुचित रूप से भरे गऐ पूर्ण आवेदन पत्रों को सम्बन्धित चयन आयोग में जमा कराना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र में संलग्न किए गए स्वप्रमाणित समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां शारीरिक मानक परीक्षण के दौरान भर्ती केन्द्र में सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11(ख)(2) अभ्यर्थियों के बुलावा पत्र सम्बन्धित जिले के भर्ती केन्द्र के	**11(ख)(2)** सम्बन्धित चयन आयोग प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर अभ्यर्थियों की जनपदवार

लिये प्राधिकृत प्रभारी द्वारा जारी किये जायेगें, जिस भर्ती केन्द्र में आवेदन पत्र जमा किये गये हों।

सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराएगा। पुलिस मुख्यालय जिले के भर्ती केन्द्र के लिए प्राधिकृत केन्द्र प्रभारी को उनसे सम्बन्धित जनपद की सूची उपलब्ध कराएंगे। सम्बन्धित जनपद के केन्द्र प्रभारी अभ्यर्थियों की शारीरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र निर्गत करेंगे।

11(छः) शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जिसकी प्रकिया परिशिष्ट 08 में दी गई है।

11(छः) नियम 11 (ड.) के अधीन शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की जनपद वार प्राप्तांक युक्त सूची पुलिस मुख्यालय द्वारा सम्बन्धित आयोग को प्रेषित की जायेगी। नियम 3 (ल) में प्राविधानित चयन आयोग द्वारा सफल घोषित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा करायी जायेगी, जिसकी प्रकिया परिशिष्ट–8 में दी गई है।

11(ज) शारीरिक मानक परीक्षा एवं दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा करायी जायेगी, जिसकी प्रकिया परिशिष्ट–9 में दी गई है।

11(ज) नियम 11 (च) के अधीन शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की सूची पुलिस मुख्यालय द्वारा सम्बन्धित आयोग को प्रेषित करेगा। नियम 3 (ल) में प्राविधानित चयन आयोग द्वारा सफल घोषित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा करायी जायेगी, जिसकी प्रकिया परिशिष्ट–9 में दी गई है।

11(झ) संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक (प्रभारी भर्ती केन्द्र) चयनित अभ्यर्थियों की जिलेवार अंतिम सूची तैयार करेगा।

11(झ) **(1)** नियम 11 (छ) में निहित प्राविधानानुसार सम्बन्धित चयन आयोग रिक्तियों के सापेक्ष लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की संयुक्त प्राप्तांक सूची (शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको को जोड़कर) के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों के प्राविधानानुसार प्रवीणता सूची तैयार कर चयन आयोग की वैबसाइट में प्रकाशित करेगा तथा पुलिस विभाग की वैबसाइट में प्रकाशनार्थ पुलिस मुख्यालय को प्रेषित करेगा।

(2) नियम 11 (ज) में निहित प्राविधानानुसार सम्बन्धित चयन आयोग रिक्तियों के सापेक्ष लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की विद्यमान आरक्षण नियमों के प्राविधानानुसार प्रवीणता सूची तैयार कर चयन आयोग की वैबसाइट में प्रकाशित करेगा तथा पुलिस विभाग

की वैबसाइट में प्रकाशनार्थ पुलिस मुख्यालय को प्रेषित करेगा।

नियम 17 का संशोधन

8. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 17 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
17– अन्तिम रूप से चयनित /चिकित्सकीय परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में नियुक्ति पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा। नियुक्ति आदेश का प्रारूप सम्बन्धित अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।	17– अन्तिम रूप से चयनित/चिकित्सकीय परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों को नियम 3 (ख) के प्राविधानानुसार विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार निर्धारित प्रारूप में नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा।

नियम 21 का संशोधन

9. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 21 (क) के शीर्षक के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया शीर्षक रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
मुख्य आरक्षी पी0ए0सी0 (पु0/म0), आई0आर0बी0 एवं स0पु0	मुख्य आरक्षी पी0ए0सी0 (पु0/म0) एवं आई0आर0बी0

नियम 22 का संशोधन

10. मूल नियमावली के नियम 22 के उप नियम (ख) के पश्चात् उप नियम (ग) एवं उप नियम (घ) को निम्नलिखित रूप से अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

22(ग) गुल्मनायक एवं मुख्य आरक्षी (पुरूष/महिला) की विभागीय योग्यता परीक्षा के सम्बन्ध में नियमावली में संगत परिशिष्ट में दी गई व्यवस्थानुसार प्रकिया हेतु विज्ञप्ति एवं दिशा निर्देश पुलिस मुख्यालय द्वारा तत्समय प्रवलित नियमों के अनुसार निर्गत किए जायेंगे।

22 (घ) पीएसी में स्वीकृत महिला कम्पनियों में

महिला दलनायक, महिला गुल्मनायक एवं महिला मुख्य आरक्षियों की पदोन्नति पीएसी की महिला अभ्यर्थियों से ही की जायेगी, परन्तु यह कि दलनायक की पदोन्नति हेतु महिला प्लाटून कमाण्डर भी ज्येष्ठता के आधार पर पुरूष कमाण्डर की भांति पात्र होंगी।

नियम 23 का संशोधन

11. मूल नियमावली के नीचे रतम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 23 के स्थान पर रतम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
23. ऐसे समस्त प्रशिक्षित मुख्य आरक्षी जिन्होंने मौलिक पद (आरक्षी के पद की सेवा को मिलाकर) के सन्दर्भ में 16 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है और जिन्हें उप निरीक्षक का वेतनमान स्वीकृत हो चुका है को मुख्य आरक्षी (प्रोन्नत वेतनमान) का नाम दिया जायेगा। मुख्य आरक्षी (प्रोन्नत वेतनमान), सहा0 उप निरीक्षक की भांति वर्दी धारण करेंगे एवं कार्यों का निर्धारण विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जायेगा।	23. ऐसे समस्त प्रशिक्षित मुख्य आरक्षी जिन्होंने मौलिक पद (आरक्षी के पद की सेवा को मिलाकर) के सन्दर्भ में 16 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है और जिन्हें उप निरीक्षक का वेतनमान स्वीकृत हो चुका है को मुख्य आरक्षी (प्रोन्नत वेतनमान) का नाम दिया जायेगा। मुख्य आरक्षी (प्रोन्नत वेतनमान), सहायक उप निरीक्षक (एम) की भांति वर्दी धारण करेंगे एवं कार्यों का निर्धारण विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

नियम 24 का संशोधन

12. मूल नियमावली के नीचे रतम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 24, के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
24– गुल्मनायक के 33 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त आरक्षी एवं मुख्य आरक्षियों को प्रान्तीय राशस्त्र पुलिस की विभिन्न दल के राशस्त्र पुलिस से विभागीय योग्यता परीक्षा के आधार पर निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वालों में से पदोन्नति	24– गुल्मनायक के 33 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के आरक्षी, मुख्य आरक्षियों एवं राशस्त्र पुलिस के मुख्या आरक्षी में से पुलिस के विभिन्न दलों से विभागीय योग्यता परीक्षा के आधार पर निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वालों में से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

द्वारा भरे जायेंगे।

(क) आरक्षी पी0ए0सी0 (पुरूष/महिला) एवं आई0आर0बी0 के पद पर भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन इस रूप मे 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(ख) मुख्य आरक्षी पी0ए0सी0 (पुरूष/महिला), आई0आर0बी0 एवं स0पु0 के पद पर भर्ती के वर्ष पद का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो।

(ग) भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन 45 वर्ष से अधिक की आयु न हुई हो।

(घ) कैडर विभाजन– अभ्यर्थी को भारत सरकार द्वारा अन्तिम रूप से उत्तराखण्ड राज्य आवंटित किया गया तथा वह वर्तमान समय मे उत्तराखण्ड राज्य मे नियुक्त हो।

(ड.) सेवाभिलेख विगत 5 वर्षों का सन्तोषजनक हो अर्थात कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो, विगत 5 वर्षो में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गयी हो।

परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गयी अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो अथवा किसी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तथा अभियोग न्यायालय में पंजीकृत/विवेचनाधीन /विचाराधीन हो तो ऐसे कर्मियों को भी पदोन्नति प्रक्रिया में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा किसी विभागीय कार्यवाही/अभियोग में दण्डित होता है तो सम्बन्धित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया से बहार कर

(क) आरक्षी पी0ए0सी0 (पुरूष/महिला) एवं आई0आर0बी0 के पद पर भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन इस रूप मे 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(ख) मुख्य आरक्षी पी0ए0सी0 (पुरूष/महिला), आई0आर0बी0 एवं स0पु0 के पद पर भर्ती के वर्ष पद का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो।

(ग) भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन 45 वर्ष से अधिक की आयु न हुई हो।

(घ) कैडर विभाजन- अभ्यर्थी को भारत सरकार द्वारा अन्तिम रूप से उत्तराखण्ड राज्य आवंटित किया गया तथा वह वर्तमान समय मे उत्तराखण्ड राज्य मे नियुक्त हो।

(ड.) सेवाभिलेख विगत 5 वर्षों का सन्तोष जनक हो अर्थात कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो, विगत 5 वर्षो में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गयी हो:

परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गयी अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो अथवा किसी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तथा अभियोग न्यायालय में पंजीकृत/विवेचनाधीन/विचाराधीन हो तो ऐसे कर्मियों को भी पदोन्नति प्रक्रिया में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा किसी विभागीय कार्यवाही/अभियोग में दण्डित होता है तो सम्बन्धित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया से बहार कर दिया जायेगा। यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में

दिया जायेगा। यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान निरतारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में उनका पदोन्नति परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया जायेगा।

गुल्मनायक के पद पर विभागीय योग्यता परीक्षा के आधार पर पदोन्नति **परिशिष्ट–11** मे निर्धारित प्रक्रियानुसार की जायेगी।

उनका पदोन्नति परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया जायेगा। अपील/विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के पश्चात ही निर्णय के सादृश्य सम्बन्धित कर्मी का सीलबन्द लिफाफा खोला जायेगा।

(च) नियम 5(ग)(2) में निहित प्राविधानान्तर्गत पी0ए0सी0 संवर्ग में पुरूष एवं महिला का ढांचा/पद सृजन व्यवस्था पृथक पृथक होने के दृष्टिगत रिक्ति की सीमा तक पुरूष एवं महिला कार्मिकों की पदोन्नति पृथक–पृथक की जायेगी।

गुल्मनायक के पद पर विभागीय योग्यता परीक्षा के आधार पर पदोन्नति **परिशिष्ट–11** मे निर्धारित प्रक्रियानुसार की जायेगी।

नियम 25 का संशोधन

13. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 25, के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
25– गुल्मनायक के 33 प्रतिशत पद पी0ए0सी0(पुरूष/महिला),आई0आर0बी0 एवं स0पु0 के मुख्य आरक्षी के पद पर अनुपयुक्त को छोडकर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।	25– गुल्मनायक के 33 प्रतिशत पद पी0ए0सी0(पुरूष/महिला), आई0आर0बी0 एवं स0पु0 के मुख्य आरक्षी के पद पर अनुपयुक्त को छोडकर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।
(क) विगत 5 वर्षों का सेवाभिलेख सन्तोषजनक हो अर्थात कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो, विगत 5 वर्षो में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गयी हो:	**(क)** विगत 5 वर्षों का सेवाभिलेख सन्तोषजनक हो अर्थात कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो, विगत 5 वर्षो में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गयी हो:
परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गयी अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो अथवा किसी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तथा	परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गयी अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो अथवा किसी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तथा अभियोग न्यायालय में पंजीकृत/विवेचनाधीन/विचाराधीन हो तो ऐसे कर्मियों को भी पदोन्नति प्रक्रिया में सशर्त

अभियोग न्यायालय में पंजीकृत/विवेचनाधीन/विचाराधीन हो तो ऐसे कर्मियों को भी पदोन्नति प्रक्रिया में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा किसी विभागीय कार्यवाही/अभियोग में दण्डित होता है तो सम्बन्धित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया से बहार कर दिया जायेगा। यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में उनका पदोन्नति परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया जायेगा।

नियम 29 का संशोधन

14. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 29 के उप नियम (1) एवं उप नियम (4) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
29(1) मौलिक रूप से नियुक्त उप निरीक्षक–स0पु0 एवं गुल्मनायक के पद पर चयन वर्ष के प्रथम जुलाई को 10 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने वालों में से अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जायेगी। दलनायक के पद पर ऐसे उप निरीक्षक–स0पु0, यातायात एवं गुल्मनायक पात्र होंगे जिन्होंने इस पद पर 10 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा सम्मिलित किया जायेगा लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा किसी विभागीय कार्यवाही/अभियोग में दण्डित होता है तो सम्बन्धित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया से बहार कर दिया जायेगा। यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में उनका पदोन्नति परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया जायेगा। अपील/विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के पश्चात ही निर्णय के सादृश्य सम्बन्धित कर्मी का सीलबन्द लिफाफा खोला जायेगा। **(ख)** नियम 5(3) में निहित प्राविधानान्तर्गत पी0ए0सी0 संवर्ग में पुरूष एवं महिला का ढांचा/पद सृजन व्यवस्था पृथक–पृथक होने के दृष्टिगत रिक्ति की सीमा तक पुरूष एवं महिला कार्मिकों की पदोन्नति पृथक–पृथक की जायेगी।
	29(1) मौलिक रूप से नियुक्त उप निरीक्षक–स0पु0 एवं गुल्मनायक के पद पर चयन वर्ष के प्रथम जुलाई को 10 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने वालों में से अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जायेगी। दलनायक के पद पर ऐसे उप निरीक्षक–स0पु0, यातायात एवं गुल्मनायक पात्र होंगे जिन्होंने इस पद 10 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा चयन वर्ष की प्रथम जुलाई की तिथि तक पूर्ण कर ली हो और विगत 05 वर्षों का सेवाभिलेख सन्तोषजनक हो, दलनायक के पद पर पदोन्नति हेतु उपनिरीक्षक–स0पु0,

चयन वर्ष की प्रथम जुलाई की तिथि तक पूर्ण कर ली हो और विगत 05 वर्षों का सेवाभिलेख सन्तोषजनक हो, दलनायक के पद पर पदोन्नति हेतु उपनिरीक्षक–स0पु0, यातायात एवं गुल्मनायक की 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा उप निरीक्षक–स0पु0, यातायात एवं गुल्मनायक के पद पर सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने की दशा में चयन के दिनांक से मानी जायेगी।

यातायात एवं गुल्मनायक की 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा उप निरीक्षक–स0पु0, यातायात एवं गुल्मनायक के पद पर सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने की दशा में चयन के दिनांक से मानी जायेगी।

परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गयी अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो अथवा किसी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तथा अभियोग न्यायालय में पंजीकृत/विवेचनाधीन / विचाराधीन हो तो ऐसे कर्मियों को भी पदोन्नति प्रक्रिया में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा किसी विभागीय कार्यवाही/ अभियोग में दण्डित होता है तो सम्बन्धित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया से बहार कर दिया जायेगा। यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील /विभागीय कार्यवाही/ अभियोग पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में उनका पदोन्नति परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया जायेगा। अपील/विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के पश्चात ही निर्णय के सादृश्य सम्बन्धित कर्मी का सीलबन्द लिफाफा खोला जायेगा।

नियम 31 का संशोधन

15. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 31 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
31– यदि कोई सेवक दी गई पदोन्नति को लेने से इन्कार कर देता है तो उसके कनिष्ठ को चयन समिति प्रोन्नति दे सकती है और इस परिस्थिति में ज्येष्ठ कर्मचारी अपने प्रोन्नति में उस दिन से ज्येष्ठता नहीं	31– पदोन्नति लेने से इन्कार करने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में 'उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग नियमावली, 2020' के प्राविधान तथा समय–समय पर कार्मिक विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के प्राविधान लागू होंगे।

मांग सकेगा, जिस दिन उसके लिये रिक्त पद पर पदोन्नति दी गई थी।

नियम 34 का संशोधन

16. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 34(3)(ख) एवं 34(3)(ग) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
34(3)(ख) सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित गुल्मनायक एवं विभागीय पदोन्नति परीक्षा से चयनित गुल्मनायक की अपने–अपने संवर्ग में ज्येष्ठता सूची सफल अभ्यर्थियों द्वारा चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50% तथा प्रशिक्षण संस्थानों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50% को जोडकर संवर्गवार अन्तिम ज्येष्ठता सूची तैयार की जायेगी।	**34(3)(ख)** नियमावली 2019 दिनांक 10.03.2019 से लागू है। पूर्व में सीधी भर्ती कार्मिकों पर नियमावली के ज्येष्ठता सम्बन्धी प्राविधान लागू नहीं होंगे। नियमावली प्रख्यापन से पूर्व की ज्येष्ठता पूर्व प्रचलित व्यवस्थानुसार अर्थात दिनांक 10.03.2019 से पूर्व भर्ती गुल्मनायक एवं विभागीय परीक्षा से चयनित गुल्मनायक की ज्येष्ठता का निर्धारण प्रशिक्षण संस्थानों में चयन के पश्चात प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार तथा दिनांक 10.03.2019 से पश्चात भर्ती गुल्मनायक एवं विभागीय परीक्षा से चयनित गुल्मनायक की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस (पी0ए0सी0, ए0पी0 एवं आई0आर0बी0) आरक्षी, मुख्य आरक्षी, गुल्मनायक, उप निरीक्षक–सशस्त्र पुलिस, दलनायक एवं प्रतिसार निरीक्षक अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2019 के नियम 34(3)(ख) के प्राविधानानुसार की जायेगी।
34(3)(ग) एक प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त गुल्मनायक पूर्ववर्ती प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त गुल्मनायक से ज्येष्ठ होंगे। परन्तु यह कि यदि सीधी भर्ती तथा पदोन्नति से नियुक्त गुल्मनायक एक ही प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो उस दशा में उनकी ज्येष्ठता जहां तक हो सके दोनों स्रोतों के लिये	**34(3)(ग)** एक प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त गुल्मनायक पूर्ववर्ती प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त गुल्मनायक से कनिष्ठ तथा पश्चातवर्ती प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त गुल्मनायक से ज्येष्ठ होंगे। परन्तु यह कि यदि सीधी भर्ती तथा विभागीय परीक्षा से पदोन्नत एवं ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नत गुल्मनायक एक ही प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, तो उस दशा में उनकी ज्येष्ठता जहाँ तक हो सके तीनो स्रोतों के लिए विहित कोटा के

विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम में (प्रथम नाम पदोन्नत व्यक्ति का होगा) निर्धारित की जायेगी।

नियम 37 का विलोपन 17. मूल नियमावली के नियम 37 को विलोपित कर दिया जायेगा।

परिशिष्ट–2 का संशोधन 18. मूल नियमावली की परिशिष्ट–2 मे विद्यमान प्रविष्टि, शीर्षक पात्रता, (घ), लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, 4(ग) एवं अन्तिम प्रवीणता (मैरिट) सूची के स्थान पर स्तम्भ -2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 **विद्यमान प्रविष्टि**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टि**
विभागीय योग्यता परीक्षा के माध्यम से मुख्य आरक्षी पी0ए0सी (पु0/म0), आई0आर0बी एवं स0पु0 के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया	विभागीय योग्यता परीक्षा के माध्यम से मुख्य आरक्षी पी0ए0सी0 (पुरूष/महिला) एवं आई0 आर0बी0 के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया
पात्रता– पी0ए0सी0 (पु0/म0), आई0आर0बी एवं स0पु0 संवर्ग के सभी आरक्षी परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे। पदोन्नति हेतु अन्तिम रूप से चयनित कार्मिकों को उनके द्वारा दिये गये विकल्प एवं संवर्ग (पी0ए0सी0, आई0आर0बी0 एवं स0पु0) में पद की उपलब्धता के आधार पर पदोन्नति की जायेगा।	पी0ए0सी (पुरूष/महिला) एवं आई0आर0बी संवर्ग के सभी आरक्षी विभागीय पदोन्नति परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे। पदोन्नति हेतु अन्तिम रूप से चयनित कार्मिकों को पी0ए0सी0 /आई0आर0बी0 में पद की उपलब्धता के आधार पर पदोन्नति की जायेगी।
(घ) सेवाभिलेख विगत 5 वर्षों का सन्तोषजनक हो, अर्थात कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो, विगत 5 वर्षो में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गयी हो।	**(घ)** सेवाभिलेख विगत 5 वर्षों का सन्तोषजनक हो, अर्थात कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो, विगत 5 वर्षो में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गयी हो।
परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गयी अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो अथवा किसी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तथा अभियोग न्यायालय में पंजीकृत/	परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गयी अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो अथवा किसी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तथा अभियोग न्यायालय में पंजीकृत/विवेचनाधीन/ विचाराधीन हो तो ऐसे कर्मियों को भी पदोन्नति प्रक्रिया में सशर्त

विवेचनाधीन/विचाराधीन हो तो ऐसे कर्मियों को भी पदोन्नति प्रक्रिया में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा किसी विभागीय कार्यवाही/अभियोग में दण्डित होता है तो सम्बन्धित कर्मी को उसी रतर पर पदोन्नति प्रक्रिया से बहार कर दिया जायेगा। यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान निरतारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में उनका पदोन्नति परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया जायेगा।

लिखित परीक्षा—उपरोक्त पात्रता/अर्हता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा सम्पन्न करायी जायेगी।

शारीरिक दक्षता परीक्षा—
लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मुख्यालय रतर पर गठित उपरोक्त चयन समिति द्वारा आई0टी0/पी0टी0 परीक्षा ली जायेगी, जिसके अंतर्गत आई0टी0 60तथा पी0टी0 40 अंक की होगी। प्रत्येक में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जो परीक्षार्थी 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल होंगे, उन्हें पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित करते हुए उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा।

सम्मिलित किया जायेगा लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा किसी विभागीय कार्यवाही/अभियोग में दण्डित होता है तो सम्बन्धित कर्मी को उसी रतर पर पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा। यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/ अभियोग पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/ विभागीय कार्यवाही/अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में उनका पदोन्नति परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया जायेगा। अपीलीय/विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के पश्चात ही निर्णय के सादृश्य सम्बन्धित कर्मी का सीलबन्द लिफाफा खोला जायेगा।

पुलिस मुख्यालय पात्रता/अर्हता पूर्ण करने वाले कार्मिकों/अभ्यर्थियों की एक सूची सम्बन्धित चयन आयोग को प्रेषित करेगा। चयन आयोग परिशिष्ट में निहित प्राविधानानुसार लिखित परीक्षा सम्पन्न कराएगा।

मुख्यालय रतर पर गठित चयन समिति द्वारा परिशिष्ट में विद्यमान व्यवस्थाओं के अनुसार पात्रता/अर्हता पूर्ण करने वाले कार्मिकों/अभ्यर्थियों की आई0टी0/पी0टी0 परीक्षा ली जायेगी, जिसके अन्तर्गत आई0टी0 60 तथा पी0टी0 40 अंक की होगी। प्रत्येक में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जो परीक्षार्थी/कार्मिक 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल होगा, उन्हें पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित करते हुए उसी रतर पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा। उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक अन्तिम चयन हेतु प्रवीणता सूची में जोड़े जायेंगे।

शारीरिक दक्षता परीक्षा–(ख) पी0टी0 दौड–

05 किमी की दौडः-
24 मिनट पर – 10 अंक
27 मिनट पर - 08 अंक
30 मिनट पर - 6.5 अंक
33 मिनट पर – 05 अंक
36 मिनट पर - 3.5 अंक
39 मिनट पर – 02 अंक
42 मिनट पर – 0.5 अंक

पुरूष अभ्यर्थियों से 42 मिनट में 05 किमी की दौडः–

24 मिनट पर – 10 अंक
27 मिनट पर – 08 अंक
30 मिनट पर - 6.5 अंक
33 मिनट पर - 05 अंक
36 मिनट पर – 3.5 अंक
39 मिनट पर – 02 अंक
42 मिनट पर – 0.5 अंक

महिला अभ्यर्थियों से 25 मिनट में 03 किमी की दौडः–

17 मिनट पर – 10 अंक
19 मिनट पर – 08 अंक
20 मिनट पर – 6.5 अंक
21 मिनट पर – 05 अंक
22 मिनट पर – 3.5 अंक
23 मिनट पर – 02 अंक
25 मिनट पर – 0.5 अंक

4(ग)– विगत् 05 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक छुद्र दण्ड पर 01 अंक की कटौती होगी।

विलोपित

सेवाभिलेखों के मूल्यांकन में वार्षिक गोपनीय मन्तव्य/ सत्यनिष्ठा विगत् 05 वर्षों के आंकलित होगें तथा दण्ड का आंकलन विगत 10 वर्षों का किया जायेगा, जबकि सेवा, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुरूरकार, पदक आदि के लिये चयन वर्ष की प्रथम जनवरी तक की अवधि के आधार पर सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन किया जायेगा।

सेवाभिलेखों के मूल्यांकन में वार्षिक गोपनीय मन्तव्य विगत 10 वर्षों के आंकलित होगें तथा दण्ड का आंकलन विगत 10 वर्षों का किया जायेगा, जबकि सेवा, शिक्षा,प्रशिक्षण, पुरूस्कार, पदक आदि के लिये चयन वर्ष की प्रथम जुलाई तक की अवधि के आधार पर सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन किया जायेगा।

अन्तिम प्रवीणता(मैरिट) सूची– शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन किया जायेगा। सेवा अभिलेखों हेतु निर्धारित अंकों के

शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल कार्मिक /अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों का निर्धारित मानकानुसार मूल्यांकन कर, कार्मिक को सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन में देय अंकों को सार्वजनिक करते हुए, उस पर 15 दिवस की

आधार पर अभ्यर्थियों को अंक प्रदान किये जायेंगे। चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा, आई0टी0/पी0टी0 परीक्षा एवं सेवा अभिलेखों मे प्राप्त अंकों का योग करने के उपरान्त अंतिम योग्यता सूची तैयार करके उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष श्रेष्ठता के आधार पर विभागीय योग्यता परीक्षा के आधार पर मुख्य आरक्षी पद हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन करते हुए चयनित कर्मियों की मैरिट सूची पी0ए0सी0 मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। अभ्यर्थियों के सेवा श्रेष्ठता का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा: -

समय सीमा निर्धारित कर आपत्ति /अनापत्ति प्राप्त करते हुए, मूल्यांकन सूची अन्तिम की जायेगी, जिस पर पारदर्शिता के दृष्टिगत कोई परिवर्तन सम्भव नहीं होगा। उक्त अन्तिम सूची (शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं सेवा अभिलेखों में प्राप्त अंक) पुलिस मुख्यालय के माध्यम से सम्बन्धित चयन आयोग को प्रेषित की जायेगी। लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की संयुक्त प्राप्तांक सूची (शरीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक, सेवा अभिलेख मूल्यांकन अंक एवं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको को जोड़कर) के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों एवं परिशिष्ट में दी गई रीतिनुसार प्रवीणता सूची तैयार कर चयन आयोग की वैबसाइट में प्रकाशित करेगा तथा पुलिस विभाग की वैबसाइट में प्रकाशनार्थ पुलिस मुख्यालय को प्रेषित करेगा।

अभ्यर्थियों के सेवा श्रेष्ठता का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा:—

परिशिष्ट—3 का संशोधन 19. मूल नियमावली मे परिशिष्ट -3 मे नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये विद्यमान प्रविष्टि शीर्षक, सेवा अभिलेख एवं पदोन्नति आदेश के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

स्तम्भ—1 विद्यमान प्रविष्टि	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टि
ज्येष्ठता के आधार पर मुख्य आरक्षी पीएसी (पु0/म0), आईआरबी एवं स0पु0 के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया	ज्येष्ठता के आधार पर मुख्य आरक्षी पीएसी (पुरूष/महिला) एवं आईआरबी के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया
सेवाभिलेख— विगत 5 वर्षों का सेवा अभिलेख सन्तोषजनक हो अर्थात प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो, विगत 5 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गयी हो।	विगत 5 वर्षों का सेवा अभिलेख सन्तोषजनक हो अर्थात प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो, विगत 5 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गयी हो।
परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गयी अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो	परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गयी अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो अथवा किसी कर्मी के विरूद्ध विभागीय

अथवा किसी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तथा अभियोग न्यायालय में पंजीकृत/ विवेचनाधीन /विचाराधीन हो तो ऐसे कर्मियों को भी पदोन्नति प्रक्रिया में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा किसी विभागीय कार्यवाही/ अभियोग में दण्डित होता है तो सम्बन्धित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया से बहार कर दिया जायेगा। यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/ अभियोग पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में उनका पदोन्नति परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया जायेगा। निलंबित कर्मियों को भी निर्णय की प्रत्यासा में पदोन्नति प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।

पदोन्नति आदेश– निर्धारित आधारभूत प्रशिक्षण/व्यवहारिक प्रशिक्षण सफलता पूर्वक उत्तीर्ण करने वाले कर्मियों को मुख्य आरक्षी पी0ए0सी (पु0/म0) ,आई0आर0बी एवं स0पु0 के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने विषयक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

कार्यवाही प्रचलित हो तथा अभियोग न्यायालय में पंजीकृत / विवेचनाधीन/ विचाराधीन हो तो ऐसे कर्मियों को भी पदोन्नति प्रक्रिया में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा किसी विभागीय कार्यवाही/अभियोग में दण्डित होता है तो सम्बन्धित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया से बहार कर दिया जायेगा। यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/ अभियोग पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील /विभागीय कार्यवाही/अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में उनका पदोन्नति परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया जायेगा। अपील/विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के पश्चात ही निर्णय के सादृश्य सम्बन्धित कर्मी का सीलबन्द लिफाफा खोला जायेगा।

पदोन्नति आदेश– निर्धारित आधारभूत प्रशिक्षण/ व्यवहारिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले कर्मियों को मुख्य आरक्षी पी0ए0सी (पु0/म0) एवं आई0आर0बी के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने विषयक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

परिशिष्ट–4 का संशोधन

20. मूल नियमावली में परिशिष्ट–4 में स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान प्रविष्टि शीर्षक के स्थान पर स्तम्भ–2 में गया शीर्षक रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान प्रविष्टि	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टि
उत्तराखण्ड प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस (पी0ए0सी0 (पु0/म0) एवं आई0आर0बी0) के आरक्षी की सीधी भर्ती के लिये शारीरिक मानक परीक्षण	उत्तराखण्ड प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी (पी0ए0सी0 (पु0/म0) एवं आई0आर0बी0) के आरक्षी की सीधी भर्ती के लिये शारीरिक मानक परीक्षण।

परिशिष्ट–6 का संशोधन

21. मूल नियमावली में परिशिष्ट–6 में स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान प्रविष्टि शीर्षक के स्थान पर स्तम्भ–2 में गया शीर्षक रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान प्रविष्टि	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टि
परिभाषा– उत्तराखण्ड प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस के आरक्षी पी0ए0सी0 (पु0/म0) एवं आई0आर0बी0 की सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण	उत्तराखण्ड प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के आरक्षी पी0ए0सी0 (पु0/म0) एवं आई0आर0बी0 की सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण

परिशिष्ट–8 का संशोधन

22. मूल नियमावली मे परिशिष्ट–8 मे स्तम्भ–1 में दी गई विद्यमान प्रविष्टि 8(क), 8(छ) एवं 8(ट) के स्थान पर रतम्भ–2 में दी गई प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थातः -

स्तम्भ–1 विद्यमान प्रविष्टि	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टि
8(क) लिखित परीक्षा का आयोजन तत्समय राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था द्वारा कराया जायेगा।	**8(क)** लिखित परीक्षा का आयोजन नियम 3(ल) में निहित चयन आयोग द्वारा कराया जायेगा।
8(छ) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (OMR Sheet) कार्बन प्रति के साथ तीन प्रतियों में होगी। (OMR Sheet) की प्रथम मूल प्रति परीक्षा अयोजित करने वाली संस्था द्वारा मूल्याकंन /अभिलेख हेतु रखी जायेगी। दूसरी कार्बन प्रति लिखित परीक्षा कराने वाली संस्था/विभाग की अभिरक्षा में रखी जायेगी। तृतीय प्रति अभ्यर्थियों	**8(छ)** लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (OMR Sheet) कार्बन प्रति के साथ दो प्रतियों में होगी। (OMR Sheet) की प्रथम मूल प्रति परीक्षा अयोजित करने वाली संस्था द्वारा मूल्याकंन/अभिलेख हेतु रखी जायेगी। दूसरी प्रति अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

8(ट) शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा के अंको के योग के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों एवं ज्येष्ठता निर्धारण हेतु निर्धारित नियमों के दृष्टिगत सम्बन्धित वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षकों (प्रभारी भर्ती केन्द्र) द्वारा जनपदवार अन्तिम प्रवीणता (मैरिट) सूचियां तैयार की जायेंगी। अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी, उसे ज्येष्ठता क्रम में रखा जायेगा। यदि अपवाद स्वरूप दोनों अभ्यर्थियों की जन्मतिथि भी एक समान होती है तो ऐसी स्थिति में लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ज्येष्ठता प्रदान की जायेगी, लिखित परीक्षा में भी समान अंक होने पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंक के आधार पर ज्येष्ठता प्रदान की जायेगी। अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी एवं संबंधित चयन आयोग तथा पुलिस विभाग की बैबसाईट तथा स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की कोई प्रतीक्षा सूची नहीं बनाई जायेगी।

8(ट) शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की संयुक्त प्राप्तांक सूची (शारीरिक दक्षता परीक्षा अंक एवं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको को जोड़कर) के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों एवं परिशिष्ट में दी गई रीतिनुसार जनपदवार अन्तिम प्रवीणता सूची तैयार कर चयन आयोग की वैबसाइट में प्रकाशित करेगा तथा पुलिस विभाग की वैबसाइट में प्रकाशनार्थ पुलिस मुख्यालय को प्रेषित करेगा। अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी, उसे ज्येष्ठता क्रम में रखा जायेगा। यदि अपवाद स्वरूप दोनों अभ्यर्थियों की जन्मतिथि भी एक समान होती है तो ऐसी स्थिति में लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ज्येष्ठता प्रदान की जायेगी, लिखित परीक्षा में भी समान अंक होने पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंक के आधार पर ज्येष्ठता प्रदान की जायेगी। अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी एवं संबंधित चयन आयोग तथा पुलिस विभाग की बैबसाईट तथा स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की कोई प्रतीक्षा सूची नहीं बनाई जायेगी।

परिशिष्ट–11 का संशोधन

23. मूल नियमावली मे परिशिष्ट–11 मे के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान प्रविष्टि प्रस्तावना, (क) लिखित परीक्षा, (ग), 4(घ), सेवा अभिलेख एवं 5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गई प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान प्रविष्टि	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टि
गुल्मनायक के पद पर पदोन्नति हेतु अन्तिम रूप से चयनित कार्मिकों को उनके द्वारा दिये गये विकल्प एवं संवर्ग (पी0ए0सी0, आई0आर0बी0 एवं स0पु0) में पद की उपलब्धता के आधार पर पदोन्नति की जायेगी।	गुल्मनायक के पद पर पदोन्नति हेतु अन्तिम रूप से चयनित कार्मिकों को उनके द्वारा दिये गये विकल्प एवं संवर्ग (पी0ए0सी0,आई0आर0बी0 एवं सशस्त्र पुलिस) में पद की उपलब्धता के आधार पर पदोन्नति की जायेगी। पुलिस मुख्यालय पात्रता/अर्हता पूर्ण करने वाले कार्मिकों /अभ्यर्थियों की एक सूची सम्बन्धित चयन आयोग को प्रेषित करेगा। चयन आयोग परिशिष्ट में निहित प्राविधानानुसार लिखित परीक्षा सम्पन्न कराएगा।
(क) लिखित परीक्षा लिखित परीक्षा हेतु तीन भाग का एक वस्तुनिष्ठ (Objective Type) प्रश्न पत्र तैयार किया जायेगा। प्रथम भाग में सामान्य ज्ञान एवं सामान्य हिन्दी, द्वितीय भाग में पुलिस प्रक्रिया तथा तृतीय भाग विधि (Law) का होगा। कुल प्रश्न पत्र 300 अंकों का होगा तथा प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 02 अंक निर्धारित होंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर आधा अंक काट लिया जायेगा। प्रश्न संख्या 01 से 50 तक सामान्य ज्ञान/सामान्य हिन्दी, प्रश्न संख्या 51 से 100 तक पुलिस प्रक्रिया एवं प्रश्न संख्या 101 से 150 तक विधि (Law) से सम्बन्धित होंगे। प्रश्न पत्र हल करने हेतु 02 घन्टे का समय निर्धारित होगा। सामान्य ज्ञान/सामान्य हिन्दी का प्रश्न पत्र इण्टरमीडिएट स्तर का होगा तथा पुलिस प्रक्रिया व विधि (Law) विषयों के प्रश्नों का स्तर वह होगा जो सामान्य रूप से किसी	**(क)** लिखित परीक्षा हेतु तीन भाग का एक वस्तुनिष्ठ (Objective Type) प्रश्न पत्र तैयार किया जायेगा। प्रथम भाग में सामान्य ज्ञान एवं सामान्य हिन्दी, द्वितीय भाग में पुलिस प्रक्रिया तथा तृतीय भाग विधि (Law) का होगा। कुल प्रश्न पत्र 300 अंकों का होगा तथा प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 02 अंक निर्धारित होंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर आधा अंक काट लिया जायेगा। प्रश्न संख्या 01 से 50 तक सामान्य ज्ञान/सामान्य हिन्दी, प्रश्न संख्या 51 से 100 तक पुलिस प्रक्रिया एवं प्रश्न संख्या 101 से 150 तक विधि (Law) से सम्बन्धित होंगे। प्रश्न पत्र हल करने हेतु 02 घन्टे का समय निर्धारित होगा। सामान्य ज्ञान/सामान्य हिन्दी का प्रश्न पत्र इण्टरमीडिएट स्तर का होगा तथा पुलिस प्रक्रिया व विधि (Law) विषयों के प्रश्नों का स्तर वह होगा जो सामान्य रूप से किसी पुलिस कर्मी द्वारा पुलिस विभाग की सेवा में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस/अभिसूचना के पद पर नियुक्ति हेतु अपेक्षित हो। प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था तथा मूल्यांकन सम्बन्धित चयन आयोग द्वारा कराया जायेगा। प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिकायें इस प्रकार से तैयार करायी जायेंगी कि इनका

पुलिस कर्मी द्वारा पुलिस विभाग की सेवा में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस/अभिसूचना के पद पर नियुक्ति हेतु अपेक्षित हो। प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था तथा मूल्यांकन पुलिस मुख्यालय स्तर पर इस निमित्त गठित चयन समिति के माध्यम से कराई जायेगी। प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिकायें इस प्रकार से तैयार करायी जायेंगी कि इनका मूल्यांकन कम्प्यूटर से कराया जा सके। लिखित परीक्षा हेतु ओएमआर शीट तीन प्रतियों में तैयार की जायेगी। लिखित परीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात ओएमआर शीट की मूल प्रति लिखित परीक्षा आयोजित कराने वाले संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। ओएमआर शीट की कार्बन प्रति(मय छायाप्रति) सम्बन्धित वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक एवं सेनानायक की अभिरक्षा में डबल लॉक में सुरक्षित रखी जायेगी। ओएमआर शीट की एक कार्बन प्रति सम्बन्धित अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकेगा।चयन प्रक्रिया में आगे बने रहने हेतु लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होंगे। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अंर्जित करने में विफल होंगे, उन्हें पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित करते हुए उसी स्तर (Stage) पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा। लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अंर्जित करने वाले अभ्यर्थी/

मूल्यांकन कम्प्यूटर से कराया जा सके। लिखित परीक्षा हेतु ओएमआर शीट 02 प्रतियों में तैयार की जायेगी। लिखित परीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात ओएमआर शीट की मूल प्रति परीक्षा अयोजित करने वाली संस्था द्वारा मूल्याकंन/अभिलेख हेतु रखी जायेगी। दूसरी प्रति अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी। चयन प्रक्रिया में आगे बने रहने हेतु लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होंगे। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अंर्जित करने में विफल होंगे, उन्हें पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित करते हुए उसी स्तर (Stage) पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा। लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) में सम्मिलित किया जायेगा।

अभ्यर्थिनियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) में सम्मिलित किया जायेगा।

(4)(घ) विगत् 05 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक छुद्र दण्ड पर 01 अंक की कटौती होगी।

सेवाभिलेखों के मूल्यांकन में वार्षिक गोपनीय मन्तव्य/ सत्यनिष्ठा विगत् 05 वर्षों के आंकलित होगें तथा दण्ड का आंकलन विगत 10 वर्षों का किया जायेगा, जबकि सेवा, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुरूस्कार, पदक आदि के लिये चयन वर्ष की प्रथम जुलाई तक की अवधि के आधार पर सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन किया जायेगा।

5— पात्र अभ्यर्थियों में से चयन हेतु पुलिस मुख्यालय स्तर से निर्गत निर्देशानुसार लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा /दौड़ कराई जायेगी, जो अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा/दौड़ निर्धारित अवधि में पूर्ण करने में विफल होंगे उन्हें उसी स्टेज पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा/दौड़ में सफल अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन उक्त मानकों के अनुसार जनपद/वाहिनी प्रभारियों द्वारा स्वयं करके सेवा अभिलेखों के लिए निर्धारित अंक उन्हीं के द्वारा प्रदान किये जायेंगे, सेवा अभिलेख के जिस चार्ट में अभ्यर्थियों को सेवा अभिलेखों पर आधारित अंक प्रदान किये जायेंगे, वह चार्ट समस्त अभ्यर्थियों को दिखाकर उनसे इस बात की पुष्टि कराते हुए चार्ट में प्रत्येक अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

विलोपित

सेवाभिलेखों के मूल्यांकन में वार्षिक गोपनीय मन्तव्य विगत 10 वर्षों के आंकलित होगें तथा दण्ड का आंकलन विगत 10 वर्षों का किया जायेगा, जबकि सेवा, शिक्षा,प्रशिक्षण, पुरूस्कार, पदक आदि के लिये चयन वर्ष की प्रथम जुलाई तक की अवधि के आधार पर सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन किया जायेगा।

शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल कार्मिक/अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों का निर्धारित मानकानुसार मूल्यांकन कर, कार्मिक को सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन में देय अंकों को सार्वजनिक करते हुए, उस पर 15 दिवस की समय सीमा निर्धारित कर आपत्ति /अनापत्ति प्राप्त करते हुए, मूल्यांकन सूची अन्तिम की जायेगी, जिस पर पारदर्शिता के दृष्टिगत कोई परिवर्तन सम्भव नहीं होगा। उक्त अन्तिम सूची पुलिस मुख्यालय के माध्यम से सम्बन्धित चयन आयोग को प्रेषित की जायेगी। लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की संयुक्त प्राप्तांक सूची (सेवा अभिलेख मूल्यांकन अंक एवं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको को जोड़कर) के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों एवं परिशिष्ट में दी गई रीतिनुसार प्रवीणता सूची तैयार कर चयन आयोग की वैबसाइट में प्रकाशित करेगा तथा पुलिस विभाग की वैबसाइट में प्रकाशनार्थ पुलिस मुख्यालय को प्रेषित करेगा।

कराये जायेंगे कि उनके सेवा अभिलेखों पर आधारित समस्त प्रविष्टियों के अंक उन्हें प्रदान कर दिये गये हैं, तदोपरान्त अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेख चार्ट सम्बन्धित भर्ती केन्द्र/पी0ए0सी0 वाहिनी प्रभारियों द्वारा अपने परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक /उप महानिरीक्षक को अभ्यर्थियों की चरित्र पंजिकाओं सहित उपलब्ध कराये जायेंगे, जिनका सेवा अभिलेखों से परीक्षण परिक्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर करने के उपरान्त अभ्यर्थियों को सेवा अभिलेखों पर आधारित प्राप्त अंकों का विवरण/चार्ट चयन समिति को उपलब्ध कराया जायेगा।

आज्ञा से

(नितेश कुमार झा)
सचिव।

संख्याः 1145 (1)/XX—7—2019—01(70)2016, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपर्युक्त अधिसूचना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. कार्यालय महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
4. समस्त सेनानायक, आईआरबी/पीएसी।
5. निदेशक, मुद्रण लेखन सामग्री, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना की 150 प्रतियां प्रकाशित कराते हुए शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार की विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव